SHRI SAKET GOKHALE: Sir, she did not answer. ... (Interruptions)... A white paper on West Bengal.... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Saket, take your seat. ...(Interruptions)... One minute. ...(Interruptions)... If the hon. Minister has not responded to something which you specifically argued, there is a mechanism. ...(Interruptions)... Come to my Chamber, I will tell you the mechanism but for the last time. ...(Interruptions)... Now, Shri Ghanshyam Tiwari. ...(Interruptions)... Nothing is going on record except what Mr. Tiwari says. ...(Interruptions)... Shri Ghanshyam Tiwari to raise a discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs.

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय...

MR. CHAIRMAN: Ghanshyam*ji*, one minute. ...(Interruptions)... Mr. Tiruchi Siva. ...(Interruptions)... Hon. Members, I have to make an announcement.

RESIGNATION BY MEMBER

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that I have received a letter today, the 31st of July, 2024, from Shrimati Mamata Mohanta, Member, representing the State of Odisha, resigning her seat in the Rajya Sabha. Hon. Members, she has resigned her seat by writing to the Chairman under her hand and handed personally to me. The same I find to be constitutionally in order. I have accepted the resignation of Shrimati Mamata Mohanta, Member representing the State of Odisha with immediate effect.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

MR. CHAIRMAN: Shri Ghanshyam Tiwari to start.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, वित्त वर्ष 2024-25 केकेंद्रीय बजट में आवास और शहरी मामलों से संबंधित विषय पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं।

(उपसभापति महोदय पीटासीन हुए।)

माननीय उपसभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस साल के बजट में शहरी विकास और आवास पर भारत सरकार ने जितना बड़ा ध्यान दिया है, ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... सदन में शांति रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: उसके पहले इस प्रकार का वर्णन नहीं किया गया था। यह बजट "विकसित भारत, 2047" के लिए है और इसकी जीवन रेखा भारतीय शहरों के बीच में से होकर गुजरती है। अगर हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो विकसित भारत के लिए हमको विकसित शहर भी बनाने होंगे, क्योंकि माननीय उपसभापति महोदय, हम देख रहे हैं कि आज़ादी के समय ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, please take your seat. ...(Interruptions)... Be silent, please. ...(Interruptions)... माननीय तिवाड़ी जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय उपसभापित महोदय, विकसित भारत के लिए हम 2047 को ध्यान में रख कर चलते हैं, तो शहरों का विकास प्राथमिक आवश्यकता है। महोदय, बजट पेश होने के बाद नीति आयोग की बैठक हुई और नीति आयोग की बैठक में यह तय किया गया कि अगर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करनी है और 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय करनी है, तो शहरी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण करना होगा। इस सरकार ने जो अपना काम प्रारम्भ किया ...(व्यवधान)... सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. ...(Interruptions)... आप अपनी बात बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: माननीय उपसभापित महोदय, जब भारत सरकार ने यह तय किया और नीति आयोग ने तय किया कि विकसित भारत के लिए भारत के शहरों का विकसित होना ज़रूरी है, तो सरकार ने 2024-25 के बजट में जो प्रावधान किए हैं, वे प्रावधान उसी प्रकार से हैं। महोदय, हम देखते हैं कि भारत की आज़ादी के समय 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी, 20 प्रतिशत लोग शहरों में रहते थे। आज स्थिति यह है कि 35 परसेंट से अधिक और कुछ राज्यों में तो 40 परसेंट से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रह रही है और कुछ शहरों में निरंतर जो बाहर से आने जाने वाले लोग हैं, उस आबादी को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। शहरों में मकान की समस्याएं हैं, लोग इतनी महंगी ज़मीन लेकर मकान बना कर नहीं रह सकते, शहरों में ट्रांसपोर्ट की समस्या है, शहरों में पेयजल की समस्या है, शहरों में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, शहरों में आवागमन के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जब तक उन सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक शहर विकसित नहीं होंगे और वे विकसित शहर भारत के विकास की जीवन रेखा

नहीं बन सकेंगे। भारत सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखकर जो बजट पेश किया है, उसमें पहला काम किया है - नियोजित शहरी विकास पर विशेष ध्यान। शहरों का जो विकास है, वह नियोजित तरीके से होना चाहिए और उस नियोजित शहरी विकास के लिए भारत सरकार ने इस बार के अपने बजट में 82,576.57 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है - जबकि 2013-14 में 1,468.20 करोड़ था - जो कि उस निवेश का 55 परसेंट ज्यादा है। भारत सरकार ने अपने बजट में शहरी आवास-विकास के लिए इस प्रकार का काम किया है, उसके अंतर्गत इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाएंगी कि शहरों का एक क्रमबद्ध रूप से विकास हो। आज शहरों का विकास बेतरतीब तरीके से हो रहा है। शहरों का विकास जिस प्रकार से हो रहा है और एक शहर न बनकर शहर में उप-शहर बनते जा रहे हैं। शहरों का जो विकास होना चाहिए, वह विकास उस तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए भारत सरकार ने 82,576 करोड़ रुपए इस साल करने का तय किया है, ताकि 14 बड़े शहर, जो 30 लाख से अधिक जनसंख्या के हैं, उनका और 100 अन्य शहरों का समृचित रूप से विकास हो, उसके लिए इस बात का प्रावधान किया गया है। दूसरा बड़ा काम यह किया गया है कि शहरी परिवहन व्यवस्था और विकास के पैमाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या शहरों में परिवहन की है। जो बसें चलती हैं, उन सारी बसों में बहुत भीड़ होती है, सुबह ऑफिस टाइम पर आने और जाने के समय इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पडता है, उनको बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिलता। उसी प्रकार जिन शहरों में मेट्रो है, उन मेट्रो में भी यही स्थिति रहती है, इसी प्रकार आसपास के गांवों से या छोटे शहरों से जो लोग बड़े शहरों में आते हैं...उनके लिए इस प्रकार की समस्या रहती है। उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने तय किया है कि 30 लाख से अधिक 14 शहरों में ट्रांजिट उन्मुक्त, ट्रांसशिप उन्मुक्त विकास योजनाओं को शुरू करेंगे। इसमें ई-बसेज़ के लिए 1,300 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है, जिसमें इन शहरों में 1,300 ई- बसेज का भारत सरकार प्रावधान करेगी। उसी प्रकार मेट्रो के लिए, जो पिछला प्रावधान 20 हजार 950 करोड़ रुपये का था, उसको बढ़ाकर 21,247.94 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार यह चाहती है कि शहरों में उनका विकास इस ढंग से हो कि transit system के माध्यम से ठीक प्रकार से विकास हो जाए। मेट्रो का विकास हो, ऐसे ही यातायात का विकास हो, पॉल्यूशन न हो, इसलिए ई-बसेज़ की ओर ध्यान दिया गया है। ई-बसों के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत 1,300 करोड रुपये का प्रावधान किया है और इस प्रकार से यह काम करके उन्होंने 20 हजार 950 करोड़ रुपये के बजाय मेट्रो के लिए 21,247.94 करोड़ रुपये तय किए हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ शहरी जीवन के विकास को आरामदायक बनाने के लिए और लोगों की पहुंच तक बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन योजनाओं का प्रावधान किया है। पहला, रेन्टल- इस प्रकार के भवनों का निर्माण किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि जो लोग मकान नहीं खरीद सकते, जो ज्यादा किराया देकर नहीं रह सकते, तो जो सरकार ने रेन्टल स्कीम तय की है, उसके अंतर्गत वे अपना मकान लें और मकान लेकर रह सकें। पहली बार भारत सरकार ने rental hospitality scheme चालू की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से दो काम और किए हैं। साप्ताहिक हाट लगाने का काम किया है। एक क्षेत्र से इतनी दूर जाकर आप सामान नहीं ला सकते, ले जा नहीं सकते। इस सुविधा के लिए साप्ताहिक हाट लगाने का काम सरकार ने किया है और सौ शहरों में इस प्रकार के हाट के कार्यक्रम होंगे, तो लोगों को एक स्थान पर यह सुविधा मिलेगी। तीसरी बात यह है कि सड़को पर व्यापार करने वाले लोग, ठेला लगाने वाले लोग हैं, तो हम जगह-जगह देखते हैं और यहां तक कि क्नॉट प्लेस में देखते हैं और सारे शहरों में देखते हैं कि किस प्रकार से चाट का ठेला लगाते हैं, कई कचौड़ी के ठेले लगाते हैं, कई फलों के ठेले लगाते हैं, उन सब लोगों को सड़कों पर सुविधाजनक व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो सके और एक सामान्य आदमी कम पूंजी लगाकर शहर में अपनी कमाई कर सके और शहर में जो लोग हैं, वे सस्ती चीजें और सुविधापूर्वक चीज़ सड़क पर जाकर प्राप्त सक सकें, इसके लिए यह तीसरी योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है और सरकार ने इसके लिए तीन हजार करोड़ रुपये तय किए हैं। शहरी कायाकल्प और सतत विकास की अमृत योजना के अंतर्गत 5 हजार 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8 हजार करोड़ रुपये का निर्णय किया है। इस प्रकार लगातार पैसा बढ़ रहा है और यह चिंतन के साथ बढ़ रहा है कि शहरों में जो स्थिति है और उसमें आवास और विकास की जो स्थिति है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने दो प्रकार के लोगों के लिए, 1 करोड़ लोगों के लिए आवास की व्यवस्था करने का काम तय किया है। उनमें 3 हजार करोड़ रुपये, जो अल्प आय वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को सस्ता मकान मिल सके, इसके लिए, और 1 हजार करोड़ रुपये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मकान मिल सके, इसके लिए तय किया है, तो आवास के लिए तीन स्कीम्स हो गईं। पहली रेन्टल स्कीम है, जिसको सरकार बढ़ावा देगी कि कोई किराए का मकान देने के लिए मकान बनाए, उसके लिए सहायता देगी, मकान को एक निर्धारित रेट पर किराए पर दे, उसके लिए स्थान देगी, तो जो कम आय वर्ग वाले लोग हैं, जो शहर में आकर अपनी रोजी-रोटी कमाना चाहते हैं और जिनके कारण जीडीपी बढ़ती है, तो वे लोग यहां पर आकर काम कर सके, उनके लिए यह स्कीम है।

दूसरा, बड़े-बड़े शहरों में आम आदमी के लिए मकान लेना, मध्यम वर्ग के लिए लेना, अल्प आय वर्ग के लिए लेना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सरकार ने दो स्कीम, एक 3 हजार करोड़ की और दूसरी 1 हजार करोड़ की, 1 करोड़ मकान के लिए तय की है। मैं समझता हूं कि पहली बार इतना बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे जो वित्त मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, जिनके नेतृत्व में काम चल रहा है, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभापित महोदय, शहरी कायाकल्प और सतत विकास — शहरों में सीवरेज की समस्या है, शहरों में पानी की समस्या है, शहरों में पानी निकासी की समस्या है, शहरों में पेयजल की समस्या है, शहरों में बिजली के कनेक्शन्स की समस्या है, इन समस्याओं के समाधान के लिए अमृत योजना सरकार ने प्रारम्भ की है। हम अमृत काल में हैं, तो इस अमृत योजना के लिए भी सरकार ने इतना बड़ा प्रावधान किया है, जिससे कि सामान्य जो काम की चीजें हैं, जो आम आदमी के उपभोग की चीजें हैं, उनमें उनको दिक्कत नहीं हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, उसकी लाइफ, उसका जीवन सुखद प्रकार से चले, उसके लिए व्यवस्था की गई है।

उपसभापित महोदय, जब प्रधान मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी, उसके बाद उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का आगाज़ किया था। आज हम देखते हैं, पहले हम रेलवे में जाते थे और सुबह-सुबह रेल जब शहरों के बीच में से या गांवों के बीच में से गुजरती थी, तो रेल की पटरियों के दोनों तरफ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब हम जाते हैं, तो लोग दिखाई नहीं देते हैं। जब हम सड़कों पर जाते थे, तो कई लोग गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके खड़े हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते हैं। अब लोगों में एक संस्कार भी आया है, लोगों में एक भावना भी आई है, लोगों में एक प्रेरणा भी आई है। उसी के अनुरूप सरकार ने शहरों में इस प्रकार का काम शुरू किया है, जिसमें उनको अमृत योजना का लाभ मिल सके। उपसभापति महोदय, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में संशोधित अनुमानित 555 करोड़ की तुलना में 95 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है। इसी प्रकार से शहरी गरीबों के लिए आजीविका के निर्माण के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। स्वयं सहायता समूह के निर्माण के माध्यम से 78 लाख शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के माध्यम से 38 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई हैं। साथ ही शहरों में 2 हजार स्थाई आश्रय स्थलों का निर्माण किया है। मोदी सरकार यह विश्वास दिलाती है कि इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए वित्तीय और सामाजिक समावेशन का उच्चतम स्तर सुनिश्चत करने के लिए निरन्तर काम करेगी। सरकार ने तय किया है कि जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं, तो 2 हजार आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, जहां पर लोग जाकर रह सकते हैं। लोगों को पटरी पर सोने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को रेलवे प्लेट फार्म पर सोने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को अब सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे सोने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार शहरों में आश्रय स्थल बनाएगी कि आप काम करो, वहां से सुबह नहा-धोकर जाओ, काम पर आओ, फिर वापस आकर, इन आश्रय स्थलों में आकर आप रुक सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। यह अनोखी व्यवस्था है। इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात किसी सरकार ने सोची नहीं थी। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिना शहरी विकास के काम नहीं होगा। जो सबसे बड़ी समस्या शहरों में है, वह भूमि संबंधी विवाद की समस्या है।

उसने जीरो सेट बैंक पर मकान बनाया है या पीछे बनाया है, आपने एन्क्रोचमेंट की है या नहीं की है, आपने नगर निगम से, नगर परिषद से, विकास प्राधिकरणों से अनुमित प्राप्त की है या नहीं की है, आपका पट्टे का मकान है या कब्ज़े का मकान है, आपका नाप सही है या नहीं है, इन सब बातों की बहुत बड़ी समस्या है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने शहरी भूमि के अंतर्गत एक नीति निर्धारित करना तय किया है। इसके अंतर्गत सरकार मकानों का, जमीनों का जीपीएस सिस्टम से डिजिटलाइजेशन करके एक नक्शा बनाएगी, उनका नाप करेगी और उनके स्वामित्व का निर्धारण करेगी। वह सारा डिजिटल होगा और उस आदमी को कहते ही यह सूचना प्राप्त हो जाएगी कि यह मकान किस प्रकार का है।

महोदय, यह जो शहरों में रोज-रोज तोड़-फोड़ होती है, रोज-रोज एन्क्रोचमेंट की समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। उपसभापित महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने पहली बार केवल सोचना और सोचने के बाद उस पर काम करना करके दिखाया है।

महोदय, हम सब जानते हैं कि आज शहरों में किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। हम दिल्ली में भी जानते हैं कि यहाँ पॉल्युशन की समस्या है, हम अन्य शहरों के बारे में भी जानते हैं कि वहाँ सीवरेज की समस्या है, हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट की समस्या है, हम जानते हैं कि सस्ता ट्रांसपोर्ट उपलब्ध नहीं होता है, हम जानते हैं कि जो लोग काम करने के लिए शहर में आते हैं, उनके लिए शौचालय की समस्या है, उनके सामने पेय जल की समस्या है। महोदय, कोई गरीब आदमी मकान नहीं खरीद सकता है, इसलिए अगर सरकार का यह विचार है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए विकसित शहर बनाने होंगे। यद्यपि शहरों के विकास की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन भारत सरकार ने पहल करके, नीति आयोग से एक निर्णय लेकर कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत की जीवन रेखा भारत के विकसित शहरों के बीच में से होकर निकलेगी, इसलिए उस जीवन रेखा को इतना मजबूत करो, इतना विश्वस्त करो, इतना आयकर देने वाला करो, इतना रोजगार देने वाला करो कि ईज़ ऑफ डुइंग लाइफ में आदमी आराम से जीवन जी सके, इस प्रकार की व्यवस्था करो कि वह कमा सके।

महोदय, इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि शहरों में जनसंख्या बढ़ेगी, इसलिए शहरों का विस्तार किस प्रकार से हो और शहरों में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हो, शहरों में लोगों को मकान किस प्रकार के मिलें और रोजगार कैसे मिले। भारत सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखकर शहरी आवास और विकास के लिए 2024-25 के बजट में इनका निर्धारण किया है, उसमें कुछ प्वाइंट्स तय किए गए हैं, कुछ मुद्दे तय किए हैं, जिस पर आम जनता को जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को दूर करके एक समग्र शहरी विकास हो।

उपसभापित महोदय, सरकार का चिंतन एक प्रकार का नहीं, बल्कि समग्र है। उन्होंने कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों का समग्र, समुचित और संतुलित विकास होना भी जरूरी है। उन शहरों का संतुलित, समुचित और समग्र विकास करने के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है - वे सभी उन्होंने निर्धारित की हैं और 2024-25 के बजट में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने उनके लिए मापदंड तय किए हैं, उनके लिए काम करने का तरीका भी तय किया है। इस प्रकार से शहरों के लिए एक संजीवनी देने का काम हुआ है। शहरी जीवन में जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफें हैं, उन्हें दूर करके एक संजीवनी देने का काम किया गया है, तािक उसमें आने वाले लोग रोजगार कर सकें। महोदय, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि छोटा सा काम है, सड़क पर खड़ा होकर ठेले लगाने वाला जो फूट बेचता है, फूट चाट बेचता है, कचौड़ी बेचता है, समोसा बेचता है, चाट-चटनी बेचता है, वह भी उस काम को ठीक प्रकार से खड़े होकर कर सके, अपनी कमाई कर सके, अपने परिवार का पेट भर सके और रात को जाकर सरकार ने जो विश्रामालय बनाए हैं, उन विश्रामालयों में जाकर रह सके - यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। वह सुबह स्नान करके, इज्जतपूर्वक बाहर निकले और अपना काम करे।

यह चिंतन का एक तरीका है। अंत्योदय से लेकर अभ्युदय तक का तरीका है। अंत में जो आदमी खड़ा है और जो शहर में किसी काम से आ रहा है, उसका अभ्युदय होना है, तो इसके लिए मैं मनोहल लाल साहब को धन्यवाद दूँगा, क्योंकि वे शहरी विकास मंत्री हैं। उनके पास जो अपना गाँव का घर था, वह घर तो उन्होंने डोनेट कर दिया। अब वे शहर में आ गए हैं। वैसे भी शहर में ही रहते थे। वे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले भी शहर में ही थे। शहर में रहने वाले लोगों को जो दिक्कत है, जो दुविधाएं हैं, उन दिक्कतों और दुविधाओं को सुविधाओं में कैसे बदल सकते हैं, इस प्रकार के आठ सूत्री कार्यक्रम के साथ शहरी विकास योजना का भारत सरकार ने प्रावधान

किया है। वह प्रावधान छोटे शहरों और 30 लाख की आबादी से बड़े शहरों के लिए है। इसके बाद इसका विस्तार होगा।

उपसभापित महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा। उन्हें बड़ा अनुभव है। वे दस साल तक, चिलए, सवा नौ साल तक ही सही, मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले संगठन मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें सारी बातों का ध्यान है। जब तक इसके लिए नगरपालिकाएं, नगर परिषद और विकास प्राधिकरण, इनके कानूनों में संशोधन नहीं होंगे और राज्य सरकारों और भारत सरकार का आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक यह सारा पैसा एकदम समुचित रूप से लगकर 2047 तक की अमृत योजना के अंतर्गत हम विकसित करें, यह मुश्किल होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपया शहरी विकास, जिन्हें अलग-अलग शहरों में स्थानीय निकाय कहते हैं या कुछ और कहते हैं, उन सारे मंत्रियों को बुलाकर, एक बार सभा की जाए कि हम इतना बड़ा पैसा - 86,000 करोड़ रुपये दे रहे हैं, तो उनका समृचित विकास हो।

मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि शहरों में भूमि अधिग्रहण का काम बहुत मुश्किल काम है। शहरों के आसपास जो किसान रहते हैं, उन किसानों की भूमि पर ये कॉओपरेटिव सोसाइटीज़ मिलकर, पट्टे काटकर, छोटी-छोटी गलियाँ बनाकर, उनमें मकान बनाने से समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनमें नाली की व्यवस्था नहीं है। उनमें ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। अभी हम देखें, तो औसत से कम बरसात है, लेकिन टेलीविजन पर रोज किसी-न-किसी शहर को दिखा देते हैं कि 15 मिनट की बारिश में सड़क पर पानी आ गया। यह पानी निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

तीसरी बात, ये बड़े शहर विस्तृत होते जा रहे हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो रहे हैं। जब तक शहर सीधा खडा नहीं होगा, तब तक एक शहर के रूप में उसकी इकाई नहीं बढेगी, फिर वह उपनगरों में बन जाएगी। उपनगरों के कारण से शहरी क्षेत्र का समृचित विकास संभव नहीं होगा, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि राज्य सरकारों से बात कर। जब तक हम इस सारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यापक कार्य-योजना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक यह काम संभव नहीं होगा। मुझे आशा है, क्योंकि माननीय मंत्री जी खूब अनुभवशील हैं। वे इस तरफ प्रयत्न करेंगे। जो इन्हें इतना पैसा मिला है, मैं तो समझता हूँ कि शायद ही किसी शहरी विकास मंत्री को इतना सारा पैसा मिला है, तो इतना सारा पैसा मिलने के कारण से वे इस काम को आगे बढाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय, भारत सरकार का चिंतन देखिए। वे एक दिन बजट पेश करते हैं, दो दिन के बाद नीति आयोग की मीटिंग होती है। नीति आयोग की मीटिंग के बाद सारे काम तय हो जाते हैं। इस प्रकार की मीटिंग, जो 25 साल तक भारत का विकास करके, अभ्युदय की ओर ले जाएगी और हम वैभव की तरफ राष्ट्र को ले जाने की कोशिश करेंगे, मुझे दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है कि उसका भी हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। यह सबसे बड़ी दुविधा की बात है। वे हार को पचा नहीं पा रहे हैं, हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हार तो हज़म करनी पडती है। माननीय जयराम जी, जब तक हार को पचाएंगे नहीं, तब तक बिलबिलाते रहेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश : हार किसकी हुई है? हार 400 पार की हुई है।

श्री धनश्याम तिवाड़ी: हार उनकी हुई है, जो यहां बजट पेश नहीं कर सके। हार उनकी हुई है, जो प्रधान मंत्री जी के बोलने में बाधा प्रकट करते हैं। हार उनकी हुई, जो प्रधान मंत्री जी के बोलने के समय वॉक आउट करके जाते हैं। उपसभापित महोदय, हार उनकी हुई है।

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इसलिए थोड़ा संतुलन बनाए रखें। लोकतंत्र में जय और पराजय एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए शहरी विकास में नीति आयोग में आप इस प्रकार की अड़चन नहीं डालें और उसमें सरकार का सहयोग करने की कोशिश करें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हम अब एक दल के लिए नहीं हैं, हम देश के लिए हैं। जब माननीय प्रधान मंत्री आपको बार-बार अपील कर रहे हैं कि हम दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए हैं, तो आप दलदल से ऊपर उठिए और कमल की तरह खिलिए। ऐसा खिलेंगे, तो भारत के शहर भी खिलेंगे और भारत के शहर भी खिलेंगे, तो भारत के विकास की जीवन रेखा भी खिलेंगी। जब जीवन रेखा खिलेगी, तो भारत के शहर दौड़ेंगे और भारत के शहर दौड़ेंगे, तो भारत का विकास दोड़ेगा। जब भारत का विकास दौड़ेगा, तो दुनिया देखेगी और भारत की जीडीपी इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। 2047 तक शहरों की जीवन रेखा के माध्यम से हम भारत की एक विकसित और समृद्ध भारत की ओर ले जाएंगे। इसमें हमारे शहरों का योगदान होगा। इसी हिसाब से इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसी बात के साथ मैं माननीय मंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी जी। माननीय श्री अजय माकन जी।

श्री अजय माकन (कर्नाटक): धन्यवाद, उपसभापित महोदय। शहरी विकास मंत्रालय से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। मैं यूपीए 1 में शुरू के तीन वर्ष एमओएस के तौर पर और आखिर के दो वर्ष बतौर कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने पांच वर्ष में सीखा है - मैं तथ्यों के आधार पर कुछ कंस्ट्रक्टिव सुझाव और क्रिटिकल एनालिसिस करूं। Purely मेरी कोशिश होगी कि पोलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर शहरों का किस तरीके से समुचित विकास हो सके, उसके बारे में मैं कुछ बातें यहां पर रख सकूं।

उपसभापित महोदय, हमारा देश बहुत तेजी से शहरीकृत हो रहा है। जब हम तेजी से शहरीकृत कहते हैं, तो यहां पर छोटे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है और बड़े शहरों के अंदर आबादी तेजी से और आती जा रही है। ये दोनों चीज़ें साथ-साथ हो रही हैं। जब हम यह कहते हैं कि छोटे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो 2001 में हमारे देश में 5,161 शहर थे और 2011 के सेंसेस में ये 7,939 शहर बन गए। यानी सेंसेस के अनुसार 10 वर्ष में हमारे देश के अंदर 4,000 नए शहर आ गए, तो जहां पर हमारे नए शहर बन रहे हैं, वहां पर पुराने शहर दिल्ली, मुम्बई और बड़े-बड़े टीयर 1 टीयर 2 शहरों के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन जब हम तेजी से शहरीकृत हो रहे हैं, तो हमारे सामने इन शहरों को मैनेज करने की चुनौतियां सबसे बड़ी हैं। जब चुनौतियां सबसे बड़ी हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें किस वर्ग के लिए काम करने की

जरूरत है और हम किसके लिए काम करें। यह हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है, जो कि मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं। कई बार हम इन सब चीज़ों में भूल जाते हैं और कई बार हमारे सामने ये सब चीज़ें धुंधली हो जाती हैं।

उपसभापित महोदय, अगर सही मायने में देखें, तो हमारे शहर की आत्मा वे लोग हैं, जो शहर के निर्माणकर्ता हैं, शहर के मजदूर हैं, शहर में काम करने वाले, फैक्टरीज़ में काम करने वाले लोग हैं। वे सुबह घर से निकलते हैं और शाम को जो कमाते हैं, वह खाते हैं। वे हमारे शहर को बनाते हैं। शहर के अंदर यही लोग गरीब हैं। यही लोग शहर के अंदर झुग्गियों में रहते हैं, unauthorized colonies में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। गांव के अंदर गरीब तो शायद एक बार मरता है, लेकिन शहर के अंदर रहने वाले ये गरीब रोज मरते हैं। क्यों रोज मरते हैं, क्योंिक वे देखते हैं कि यहां पर शहर के अंदर वे गरीबी की हालत में हैं और सबसे अमीर लोग भी उनके सामने वहां पर रहते हैं। जब वे अपने आप को शहर में रहने वाले सबसे अमीर लोगों से कम्पेयर करते हैं, तो शहर के अंदर गरीब और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, वे रोज एक तरीके से मृत्यु को पाते हैं। ऐसा हम लोगों का मानना है और इसलिए हमें यह सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है।

उपसभापति महोदय, मुझे बीच में 2009 में Home Affairs के अंदर MoS के रूप में census operations को देखने का मौका मिला। जब वे census operations खत्म हो गए, उसके बाद जब मैं वापस Housing Ministry के अंदर आया, तो house listing और housing का जो census है, वह मेरे सामने लाया गया। जब रजिस्ट्रार जनरल ने इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर अलग-अलग तरीके के शहर हैं। हमने कहा कि अलग-अलग तरीके के क्या शहर हुए? हमने पूछा कि क्या ये population के आधार पर हैं? उन्होंने कहा कि ये population के आधार पर नहीं है, ये census towns हैं, ये statutory towns हैं, ये urban agglomerations हैं, ये urban extensions हैं। ये चार अलग-अलग किरम के towns हैं। मैंने पूछा कि ये चार अलग-अलग किस्म के towns कैसे हो गए? मैंने पूछा कि आप तो यह कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर 7,939 कुल शहर हैं, तो ये अलग-अलग कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि इन 7,939 में से मात्र 4,000 towns statutory towns हैं। यानी 7,939 towns में से मात्र 4,000 के अंदर urban local bodies हैं, बाकी सारे शहरों के अंदर urban local bodies नहीं हैं, ग्राम पंचायतें हैं। हमने कहा कि ये ग्राम पंचायतें किसलिए हैं? हमने Housing Ministry वालों से बात की कि ये ग्राम पंचायतें किसलिए हैं, यहाँ पर urban local bodies किसलिए हैं, यहाँ नगरपालिकाएँ किसलिए हैं, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं, जिनकी population 5-5 लाख है, फिर भी वहाँ पर नगरपालिका नहीं है, वहाँ पर ग्राम पंचायत है। पता चला कि कहीं पर, किसी शहर के अंदर उनको सूट नहीं करता कि वे urban local bodies के अंदर shift हो जाएँ, क्योंकि urban local bodies में आने के बाद property tax लगेगा, urban local bodies में आने के बाद आपको building byelaws को follow करके मकान planned तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको पानी का भी पैसा देना पड सकता है। उसके अंदर सबसे बडी बात यह है कि urban local bodies के अंदर आने के बाद सेंटर की जो grants हैं, स्टेट की जो grants हैं, उनमें एकदम से कटौती हो जाती है, उनमें कोई पैसा नहीं मिलता। यहाँ पर आकर मुझे हैरानी होती है कि हमारे देश के अंदर जहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, वहाँ पर हमारा पैसा नहीं पहुँचता, हमारा पैसा नहीं आ पाता। जब हम लोगों ने 2011-12 में Empowered Committee बनाई, तो उसने कहा कि हमारे देश के अंदर

शहरों में 2021-22 तक 38 लाख करोड़ की जरूरत है और 38 लाख करोड़ की जो जरूरत है, हमें GDP का 1.1 परसेंट शहरों के लिए देना पड़ेगा। उस वक्त, 2011-12 में यह 0.7 परसेंट था। आज वह जरूर बढ़ा है, जैसा अभी कहा, लेकिन अभी भी 0.7 परसेंट है। GDP बढ़ा, तो उसके 0.7 परसेंट के हिसाब से वह बढ़ता गया, लेकिन वहाँ पर 0.7 परसेंट से जब तक वह 1.1 परसेंट तक नहीं जाएगा, उसके अंदर हम लोग और पैसा नहीं डालेंगे, हमारे ये शहर और तेजी से विकसित नहीं हो पाएँगे।

अब बात इस पर आती है कि हमारे शहर के अंदर क्यों ऐसा मेरा मानना है कि हमारी आँखें धुँधली हो जाती हैं। हम सब लोग यह मानेंगे कि हमारे शहरों के अंदर सबसे बड़ी समस्या आवास की है। यहाँ पर गरीब लोग किस तरीके से रहें, यह सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद transport भी है, सफाई भी है, sewage की भी है, सब चीजों की समस्या है, लेकिन आवास को मैं सबसे प्रमुख मानता हूँ। वही रजिस्ट्रार जनरल जब presentation दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूरे देश के अंदर urban areas में 11 करोड़ census houses हैं। 11 करोड़ census houses में से 1.11 करोड़, यानी 111 लाख घर urban areas में खाली हैं और हमारे देश के अंदर 1 करोड़ 37 लाख slums हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे urban areas के अंदर 1 करोड़ 11 लाख मकान खाली हैं और 1 करोड़ 37 लाख slums वहीं पर, उसी जगह के ऊपर बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है! इसका मतलब यह है कि हमारी सरकारों की priorities, प्राथमिकताएँ सही नहीं हैं।

6:00 P.M.

इसका मतलब यह है कि हम लोगों के यहाँ पर - यह अभी की बात नहीं है, यह लगातार चलती आ रही चीज है, जो कि लगातार हो रही है। इसलिए हमारा यह मानना है कि हमारी सरकारों को -राज्य सरकारों को या केन्द्र सरकार को इसकी प्राथमिकता देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से, हमारे जो पैसे हैं, उनका इस्तेमाल सही जगह पर हो भी रहा है या नहीं; हम जो जमीनें दे रहे हैं, वे कहीं बिल्डर्स की जेबों में तो नहीं जा रही हैं और उनका इस्तेमाल स्लम्स को रोकने के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस चीज को देखने की जरूरत है।

उपसभापित महोदय, लगभग 10 वर्ष पहले यहाँ पर 'प्रधान मंत्री आवास योजना' की जो शुरुआत की गई है, उसके बारे में में आगे बात करना चाहूँगा और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। मैंने अपने समय में 'राजीव आवास योजना' का पूरा प्रारूप तैयार किया था। उसमें इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, उसका नुकसान किस तरीके से शहर के अन्दर गरीब लोगों को हुआ है, वह मैं बताना चाहूँगा।

उपसभापित महोदय, 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के 4 verticals हैं। इनमें जो सबसे पहला vertical है, वह सबसे महत्वपूर्ण है - In-situ slum rehabilitation. यानी जहाँ पर स्लम है, यह वहीं पर बनाया जाना चाहिए। हमारा यह मानना है कि जहाँ पर स्लम्स हैं, जहाँ पर हमारे 1 करोड़, 37-38 लाख स्लम्स 2011 के census में थे, अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे बढ़ कर 1 करोड़, 88 लाख हो गए होंगे। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण vertical है। जहाँ पर हमारे Insitu slum rehabilitation है, वहाँ पर जो स्कीम लागू कि गई है, उसमें मात्र 1 लाख रुपये सेंटर

की ग्रांट जाती है। दूसरा vertical credit-linked subsidy scheme है। यह bank loan subsidy है, जो कि interest पर दिया जाता है। तीसरा है - affordable housing in partnership, जिसमें private players को, builders को सीधे-सीधे डेढ़ लाख रुपये दिये जाते हैं। चौथा है - beneficiary-led construction, जिसमें beneficiary को डेढ़ लाख रुपये दिये जाते हैं।

उपसभापति महोदय, जब हमने 'राजीव आवास योजना' लागू की थी, उसके अन्दर हम लोगों ने सारे स्टेकहोल्डर्स से बात की थी। तब उन्होंने सबसे पहले यह कहा था कि आप जो 1 लाख रुपये देते हैं, उससे क्या होता है? आप जो 1 लाख रुपये शहर के अन्दर मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, उस 1 लाख रुपये से शहर के अन्दर कौन मकान बना पाएगा? 1 लाख रुपये से तो एक कमरे का फर्श भी नहीं डाला जा सकता है। इस तरीके से यह एक मजाक है। उस वक्त हमारी स्कीम यह थी - whole-slum, whole city. यानी कि हम पूरे के पूरे स्लम को एक साथ लेंगे, पूरे शहर को एक साथ लेंगे। पहले slum-free city plan बनाया जाएगा, उसको approve कराया जाएगा और उसके बाद पूरे के पूरे स्लम्स को किस तरीके से improve किया जाए, उस हिसाब से काम होगा। हम लोगों ने हरेक के लिए Central Assistance कम से कम ढाई लाख रुपए बड़े शहरों के अन्दर रखे थे, 3 लाख रुपये छोटे शहरों के अन्दर रखे थे और नॉर्थ-ईस्ट के अन्दर और hilly areas के अन्दर कम से कम 4 लाख रुपये रखे थे। यह मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। आज से पहले गरीब लोगों की मदद करने की हम लोगों की यह सोच और यह पहल थी। दुर्भाग्य से अब वह बढ़ने की जगह कम हो गया है। 'राजीव आवास योजना' में उस वक्त हम लोगों ने जो ढाई लाख से 4 लाख रुपये रखे थे, अब वह कम होकर 1 से डेढ़ लाख रुपये रह गया है। मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि मंत्री जी को इसे देखना चाहिए। अगर सही मायने में आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं और 1 लाख रुपये देकर आप यह सोचें कि 1 लाख रुपये के अन्दर एक मकान बन गया, तो उतने रुपये में तो एक नया मकान बनाने की बात तो दूर रही, एक मकान का रिपेयर भी नहीं हो सकता है, तो इन्हें गरीब लोगों और स्लम्स को मदद करनी चाहिए।

दूसरा फर्क यह है कि पहले हम लोगों के समय में स्टेट गवर्नमेंट्स को मिनिमम कितना परसेंट देना है और कितना परसेंट urban local bodies को देना है, यह हम लोग तय करते थे। 25 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देना है, 10 परसेंट urban local bodies को देना है, यह हम तय करते थे। दुर्भाग्य से वे पूरे के पूरे कंडीशंस हटा दिए गए। इससे यह हो रहा है कि जो पैसा सेंटर से जाता है, वही पैसा उसके पास जाता है, उसके अलावा उसको कोई और पैसा नहीं मिलता है। तो हम यह जो कहते हैं कि कागजों के अन्दर हमारे मकान बन रहे हैं, तो सही मायने में वे मकान नहीं बन रहे हैं। मैं यह कैसे कहता हूँ, यह मैं आपको अभी बताता हूँ और अभी क्वेश्चंस के इनके जो रेस्पोंस मिले हैं, मैं उनके आधार पर बताना चाहूँगा।

इनका यह कहना है कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख मकान sanction किए गए हैं, जिनमें से लगभग 83 या 85 लाख मकान बन चुके हैं। उस 83 या 85 लाख में से सिर्फ 1.63 लाख मकान insitu slum rehabilitation के तहत स्लम्स को मिले हैं। जो दो परसेंट से कम, यानी मुश्किल से डेढ़ परसेंट स्लम्स के लिए गया है। Department-Related Parliamentary Standing Committee के सामने मिनिस्ट्री ने एक पैरा बोला, जिसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। "In written reply submitted to the Committee about the housing shortage, the Ministry of Housing and Urban Affairs has stated that the housing shortage estimated by the Technical Group

is 1.88 crore over a period of 2012-2017. It had further submitted that in India, slum decadal growth rate is 34 per cent." यह मिनिस्ट्री खुद कह रही है। हर 10 वर्ष में 34 परसेंट स्लम बढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर in-situ slum rehabilitation में टोटल का मात्र 1.63 परसेंट खर्च किया गया है, जो कि गलत है। आगे कहा है, "Also, two million non-slum urban poor households are proposed to be covered under this Mission. Hence, the total housing shortage, envisaged to be addressed through the new Mission, is 20 million." यह उस वक्त Department-Related Parliamentary Standing Committee को कहा। मैंने कहा कि insitu slum rehabilitation के लिए टोटल का 1.63 परसेंट है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? किसके पास जा रहा है? Beneficiary-Led Construction (BLC) का जो vertical है, उसमें 60 परसेंट जा रहा है। अब जो Beneficiary-Led Construction है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, जिसको फूलफिल करना है, वह यह है कि जमीन उसकी अपनी होनी चाहिए। अब मुझे यह बताइए कि अगर शहर में जिसकी जमीन है, वह गरीब कैसे हो गया? शहर में जमीन को own करने वाला शहरी गरीब कैसे हो गया और 60 परसेंट उसके पास कैसे जा रहा है? दुसरी तरफ शहर के अंदर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है और वह सरकारी जमीन पर जबर्दस्ती कहीं पर कब्जा करके अपनी पन्नी डाल कर झुग्गी बना कर रह रहा है और अगर उसको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर किसी और को कैसे मिलेगा? आज सबसे बडा प्रश्न यह उठता है। इसलिए में यह कहना चाहता हूँ कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले पर-यूनिट कम पैसा खर्च कर रहे हैं और वह मोनिटर नहीं हो रहा है, जिसके कारण से वह सही मायने में उसको नहीं मिल रहा है। इसमें दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि जिसको सही मायने में beneficiary होना चाहिए, जो असल में स्लम्स हैं, वहाँ पर पैसा नहीं जा रहा है। इसमें 60 परसेंट वही beneficiary हैं, जिनके पास अपनी जमीन है। अगर 60 परसेंट ऐसे beneficiaries को पैसा मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह Tier-I, Tier-III सिटीज़, जहाँ पर मैक्सिमम स्लम्स हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा? वहाँ पर कहीं पर भी इसका पैसा नहीं जा रहा है।

इसके अलावा Credit-Linked Incentive Scheme के अंतर्गत 30 परसेंट लामार्थी हैं, लेकिन उनको भी बैंक लोन्स में interest subsidy मिलती है। उसको अपना मकान बनाने के लिए नहीं मिलता है, बल्कि बैंक लोन सब्सिडी तब मिलती है, जब उसको बैंक लोन मिलेगा। उसको बैंक लोन ता तब मिलेगा, जब उसकी अपनी जमीन होगी। उसको बैंक लोन तब मिलेगा, जब वह किसी प्राइवेट बिल्डर से खरीदेगा। इसके अंदर चौथा है AHP. इसके अंतर्गत Housing in Partnership Scheme स्कीम है, उसमें बाकी के जो 8-9 परसेंट हैं, वे Housing in Partnership Scheme के तहत प्राइवेट बिल्डर्स को जाते हैं। सरकार सीधे-सीधे प्राइवेट बिल्डर्स को पैसा देती है और वे मकान बनाते हैं तथा लाभार्थी उनसे खरीदता है। इससे या तो प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा हो रहा है या एमआईजी या उससे ऊपर के क्लास के लोगों को फायदा हो रहा है। सेंसस के अनुसार जिनके 1 करोड़ 11 लाख मकान ऑलरेडी खाली पड़े हैं, उन्हीं लोगों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। इसलिए जो सही मायने में शहरी गरीब है, जिसको टारगेट किया जाना चाहिए, जो शहर की आत्मा है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिनको सही मायने में मदद मिलनी चाहिए, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है और इससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है।

अब मैं एक बात इसी के संदर्भ में दिल्ली के मसले पर कहना चाहूँगा। मैंने पूरी लिस्ट देखी, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंतर्गत करीब 1 करोड़ 8 लाख मकान sanction हुए हैं और उनमें से लगभग 83 या 85 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को मात्र 29 हजार मकान मिले हैं। अब या तो यह हो सकता है कि किसी कारणवश इन्होंने दिया नहीं या यह हो सकता है कि दिल्ली वालों ने मांगा ही नहीं। खट्टर साहब जब इसका जवाब दें, तो मैं यह चाहूंगा कि वे बताएं कि क्या दिल्ली वालों ने मांगा ही नहीं या इन्होंने दिया नहीं और उन्होंने मांगा, फिर भी नहीं मिला?

उपसभापित महोदय, अब मैं शहरी गरीब में जो सबसे महत्वपूर्ण, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून मेरे द्वारा बनाया गया था और मैंने इसे कैबिनेट से पास कराया, जिसको आज पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दुःख की बात यह है कि एक तरफ जब "प्रधानमंत्री स्विनिध योजना" के तहत रेहड़ी पटरी वालों को पैसे दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनको "प्रधानमंत्री स्विनिध योजना" के तहत लोन से पैसे मिले हैं, उन्हीं को उजाड़ा जा रहा है। उससे भी ज्यादा दुःख की बात यह है कि मेरे पास यह पूरी लिस्ट है, प्रधान मंत्री जी की कांस्टीट्यूएंसी से उनको हटाया जा रहा है। वाराणसी के अंदर, राम नगर, शीतला घाट, लंका, सारनाथ, भिखारीपुर, ये पांच मार्केट्स हैं, जहां पर मार्केट के अंदर "प्रधानमंत्री स्विनिध योजना" के तहत पैसे मिले। वह प्रधान मंत्री जी की कांस्टीट्यूएंसी है और वहीं पर पैसे मिलने के बाद उनको हटाया जा रहा है, जबिक रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून की धारा 3, उप धारा 3, दोनों के दोनों यह कहते हैं कि किसी को हटाया नहीं जा सकता, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाए। जब सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग मिल गए, तो प्रधान मंत्री जी की कांस्टीट्यूएंसी से ही उन लोगों को कैसे हटाया गया, मैं उम्मीद करूंगा कि खट्टर साहब इस चीज़ पर भी प्रकाश डालेंगे, क्योंकि यह प्रधान मंत्री जी का मामला है, जिसे मैं यहां पर उठा रहा हूँ।

दिल्ली के अंदर दक्षिणपुरी पानी की टंकी, पीपल चौक, विराट चौक, पुष्प विहार मदनगीर, यह मैं उन जगहों के नाम ले रहा हूँ, जहां पर "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" के तहत लोगों को लोन मिल गया, सर्टिफिकेट्स ऑफ वेंडिंग मिल गए, लेकिन बावजूद उसके उन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। डाबरी रोड मार्केट, मंगलापुरी मार्केट, करोल बाग, अजमल खान रोड और लाजपत नगर के अंदर से भी उन लोगों को हटाया जा रहा है। कोलकाता के अंदर बेरट्राम स्ट्रीट, बेहाला टेक्नोपोलिस, सेक्टर 3 न्यू टाउन, साल्ट लेक; भोपाल के अंदर मिसरोद एस्टेट, बरखेड़ा, पठानी बाजार; उत्तराखंड के अंदर गांधी पार्क, बस अड्डा मार्केट, समोसा मार्केट, निरंजनपुर मंडी, क्लेमेंट टाउन, भंडारी बाग, मैं ये सब नाम इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि देश भर के अंदर ऐसा हो रहा है। मैंने इन सारी मार्केट्स के नाम कल से इकट्ठे करने शुरू किए हैं। देश भर के अंदर लोगों का यह कहना है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, जो सुरक्षा रहड़ी पटरी वालों को हमारे कानून ने दी है।

उपसभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो आदमी रेहड़ी पटरी लगाता है, उससे हर रोज के हिसाब से पुलिस पैसे लेती है, उससे लोकल बॉडी पैसे लेती है, वह जिसकी जगह के ऊपर होता है, वह पैसे लेता है और मार्केट के अंदर जो प्रधान होता है, वह पैसे लेता है। अगर "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" का बैज लगाने के बाद भी उसको पैसे देने पड़े, नहीं तो उसको उठा दिया जाएगा, तो इससे ज्यादा * की बात नहीं है। आज ये लोग सुरक्षा मांगते हैं। इनको पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए लोन के तहत मिल गए, ठीक है, लेकिन रोज़ ये चार-चार एजेंसीज़ को जो पैसा देते हैं, अगर वह पैसा दिलवाना बंद करा दिया जाए, तो इनकी फैमिलीज़ ज्यादा खुश होंगी और ये ज्यादा संतुष्ट होंगे, बिनस्बत इनको लोन पर पैसे मिलें और उसके बाद यह पैसा सरकार को वे वापस दें। इसलिए, रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून, जो हम लोगों के द्वारा लाया गया था, मैं खट्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सभी स्टेट्स के मिनस्टर्स को बुलाएं और उनको बुलाकर यह सुनिश्चित करें कि उसका पालन किया जाए। अगर उसका पालन होगा तो हमारे देश के अंदर गरीब लोग सही तरीके से उसका लाभ उठा पाएंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा समय खत्म होने वाला है। मैं समय का पाबंद रहना चाहता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : अभी १ मिनट, २२ सेकंड्स हैं, आप बोल सकते हैं।

श्री अजय माकन: उपसभापित महोदय, मैंने अभी रेहड़ी पटरी आजीविका संरक्षण कानून के बारे में बात कही। हमारे देश के अंदर इस कानून का सही तौर पर पालन नहीं हो रहा है। हमने इसमें प्रावधान रखा है कि टाउन वेंडिंग किमटी बनेगी। टाउन वेंडिंग किमटी की रेगुलर मीटिंग्स होंगी और जो सर्वे होगा, वह टाउन वेंडिंग किमटी करेगी।

दुख की बात यह है कि पूरे देश में अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स इसका पालन नहीं कर रहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको monitor करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अभी मेरे से पूर्व भाजपा के वक्ता ने भी कहा था कि स्टेट के मिनिस्टर्स को बुलाकर भी बात करनी चाहिए। इस विषय पर और Town Vending Committee पर भी बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी बात करनी चाहिए कि हमारी प्राथमिकता स्लम्स के अंदर रहने वाले और गरीब लोग, जो शहरों में रहने वाले हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की ज्यादा ज़रूरत है। हमारा मुख्य बिंदु होना चाहिए कि जो लोग हमारी तरफ और हमारी सरकारों की तरफ देख रहे हैं, उनकी हम मदद कैसे कर सकते हैं।

श्री उपसभापित : धन्यवाद माननीय अजय माकन जी। माननीय सदस्यगण, दो माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है कि उन्हें आवश्यक काम से कहीं बाहर जाना है, यदि आपकी अनुमित हो, तो मैं उन्हें पहले बोलने का अवसर दूं।

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, it is our time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, It is your time. इसलिए मैं हाउस से consent ले रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो, तो उनसे मैं आग्रह कर सकता हूं।

-

^{*} Expunged as ordered by the Chair.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

श्री उपसभापति : मैं माननीय वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप अपने विचार बहुत संक्षेप में और कम समय में रखें। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की।

महोदय, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों एवं शहरों में निवास करेगी। गांव के साथ-साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें शहरी क्षेत्र में अनेकों सुधारों की आवश्यकता है। देश के शहरी क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में 12 परसेंट की वृद्धि के साथ 1,77,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। महोदय, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी' के अंतर्गत एक करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना की घोषणा की गई है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले रेहड़ी-पटरी वालों के लिए भी हाट बाज़ार बनाने की व्यवस्था की जा रही है। देश के शहरों में मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

महोदय, आज आपसे एक बात कहना चाहती हूं कि जब मैं आज अपने घर से सदन के लिए निकली थी, तो रोड के किनारे मैंने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगा एक पोस्टर देखा, जिसमें लिखा था कि महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण की मांग की गई। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि Shri R.K. Chetty से लेकर श्री पी. चिदम्बरम तक 19 वित्त मंत्रियों में से कांग्रेस ने अपने पूरे शासनकाल देश में किसी भी महिला को क्या वित्त मंत्री लायक नहीं समझा?

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए। अर्बन डेवलपमेंट के विषय पर बोलिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: सर, विषय पर ही बोल रही हूं। कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी जी के प्रधान मंत्री रहते हुए केवल उनके पास ही यह विभाग था। आज मुझे गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नीति पर उन्होंने पहली बार निर्मला सीतारमण जी को यह मंत्रालय दिया। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अन्य कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(व्यवधान)... प्लीज़, आप विषय पर बोलिए। श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: आप जब बोलते हैं, तो हम लोग सुनते हैं। इसलिए आप सुनने की भी क्षमता रखिए। महोदय, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को पूर्ण कालिक रूप में यह मंत्रालय दिया है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहती हूं। वर्ष 1947 में एक, वर्ष 1952 में दो, 1957 में एक - यह नेहरू जी के प्रथम तीन कार्यकाल की महिला मंत्रियों की संख्या है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य, अर्बन डेवलपमेंट का विषय है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : इस देश में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। क्या सरकार के गठन में आपने महिलाओं को इस लायक नहीं समझा? मैं इसलिए कहती हूं, क्योंकि मैं सुन रही थी। ये लोग विषय पर नहीं बोलते हैं। मैं इतने दिन से ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलें।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से, ...(व्यवधान)... मैं यह बोलूंगी, क्योंकि मुझे ठेस लगी है। मेरे घर के सामने यह बड़ा पोस्टर लगा, मैंने देखा तो मुझे बहुत खराब लगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यहां पर विषय यह है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: मैं कांग्रेस पार्टी की पीड़ा को समझ रही हूं और कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक आदिवासी महिला के सिर पर राष्ट्रपति का ताज है और कैसे एक महिला वित्त मंत्री पर पूरे देश को नाज़ है और कैसे आज महिलाएं संसद में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज। आप विषय पर बोलिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: सर, मैं विषय पर ही आ रही हूं। देश में ओबीसी वर्ग के लगभग 78 परसेंट लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी क्षमता नहीं थी, जिनको कोई सुविधाएं नहीं थीं कि वे शहरों में रहें।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप याद रखें कि आपको कम समय में बोलना है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : ऐसे अनेकों ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैडम, प्लीज़।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : ऐसे सामाजिक कारणों के कारण...(समय की घंटी)...पिछड़े वर्ग देश के शहरों में निवास नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : मैडम, प्लीज़। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज़। एक तो मैंने आग्रह किया कि कम समय में बोलना है और आप विषय पर बोलें। आपका समय कुछ देर में पूरा हो जाएगा, तो आप जल्दी बोलें।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : सर, यह आवास वाला विषय ही था।

श्री उपसभापति : आवास वाले विषय पर बोलकर अपनी बात खत्म करें।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: किस तरीके से गांव से शहरों में आने वाले लोगों की आर्थिक क्षमता नहीं होती थी कि वे शहरों में आवास बना पाएं और वे कहीं न कहीं किसी तरीके से किराए पर रहकर अपना गुजारा करते थे। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ऐसे लोगों को भी आवास देने का जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। आप निश्चित तौर से देखिए कि एससी, एसटी और ओबीसी के लोग ही इन कारणों से निश्चित तौर से शहरों की सुविधाएं नहीं ले पाते थे, आज आदरणीय प्रधान मंत्री और आदरणीय मंत्री जी के कारण वे शहरों में निवास करने के लिए खुश हैं कि किस तरीके से हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों की चिंता की है। सर, मैं एक चीज और बोलूंगी। कुछ दिन पूर्व एक संसद सदस्य श्री संजय सिंह जी ने यहां एक विषय उठाया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने...(य्यवधान)...

श्री उपसभापति : आपको विषय पर बोलना है।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : मैं यह कहूंगी।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप अपनी बात खत्म कीजिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: मैं कहूंगी कि आर्थिक आधार पर जब आम उपयोग की वस्तुओं पर हलाल प्रमाणीकरण के लिए कैसे बाध्य किया जाता है और उत्तर प्रदेश में बरेली में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उनका सामूहिक विवाह कराने का प्रयास किया जाता है...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए। आपका समय खत्म।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: मैं यह कहना चाहती हूं कि उनको यह सोचना चाहिए। माना आपको एक जाति से ज्यादा लगाव है, ...(समय की घंटी)...लेकिन हिंदुओं की आस्था पर भी कुठाराघात नहीं करना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : आप विषय पर बोलिए प्लीज... श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक। पांच मिनट के अंदर अपनी बात कहें और विषय पर बोलें। अगर आप विषय पर बोलेंगी, तो ही रिकॉर्ड पर जाएगा।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस ऐतिहासिक बजट पर बोलने का ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : यह बजट नहीं है, यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पर डिस्कशन है।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक: शहरी विकास पर बोलने का अवसर दिया, मैं हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं। महोदय, 2024 और 2025 में फिर एक और गर्वभरा अध्याय जोड़ दिया गया है कि यह बजट जो तमाम विशेषताओं और हर वर्ग की राहतों के लिए भरा हुआ है। इस बजट में खास कर के प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के माध्यम से शहरी विशेषता के विकास पर जोर दिया गया है। सर, 79 हजार करोड़ रुपये की भारी राशि के साथ यह पहल लाखों लोगों को सुरक्षित और सस्ते आवास प्रदान करती है। हम तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें एक करोड़ शहरी क्षेत्रों के होंगे। आप कल्पना कीजिए कि एक करोड़ से अधिक परिवारों को आखिरकार एक स्थान ऐसा मिलेगा, जिसमें वे सच में समझेंगे कि हमें शहर में कोई सिर छुपाने के लिए आवास मिला।

महोदय, 2015 से पीएमएवाई सिर्फ एक आवास योजना, परियोजना से कहीं अधिक रही है। यह घरों को आवश्यक सुविधाएं, जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना है। यह परिवार की महिला को मालिक एवं सह-मालिक भी बनाती है। शहर की जो व्यवस्था है, जो लोग पहले शहरों में, झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे, जब वे किसी गांव से शहरों में पलायन करके आते थे, तो उन्हें कहीं सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वे पन्नी लगाकर किसी एक स्थान पर रहते थे और शहर की कॉरपोरेशन आकर उनकी झुग्गी की पन्नी उखाड़ देती थी तथा उनकी झोंपड़ी से उनको बेदखल कर देती थी। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि 2014 के बाद, उन्होंने शहरों में गरीबों की पीड़ा को समझा। उन्होंने शहरों के विकास को देखते हुए, गरीबों को पक्के मकान में रहने की सुविधा दी, उनमें शौचालय बनाकर भी दिए। सबसे ज्यादा महिलाओं की प्रॉब्लम थी कि वे शहर में रहने के बावजूद भी खुले में शौच के लिए जाती थीं। 2004 के पहले की यदि मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी जाय, तो शहर के लोग भी रेलवे पटरी के किनारे बैठकर शौच के लिए जाया करते थे, ये शहरों की स्थिति थी। पहले हमारे जो मुख्य मंत्री थे, उन्होंने यह दुर्दशा कर रखी थी। 2004 के बाद में हमारी सरकार आई और उसने शहरों का विकास किया। आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है।

महोदय, मैं बताना चाहूंगी की शहरों की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए, किफायती किराये के आवास उपलब्ध कराकर उनकी समस्या का समाधान किया है। इसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री टाइप के आवास शामिल किए गए हैं।

यह योजना न केवल हमारे कार्य का समर्थन करती है, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी किराये के बाजारों को भी प्रोत्साहित करती है।

महोदय, हम यह भी देख रहे हैं कि शहरों को आर्थिक विकास केन्द्र के रूप में विकितत करने में हमारे प्रधान मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। राज्यों के साथ ट्रांजिट प्लानिंग, पेरी अर्बन एरिया के तहत व्यवस्थित तरीके से विकास करके, वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे शहर स्थाई रूप से और कुशलता के साथ आगे बढ़ें।

महोदय, 14 प्रमुख शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना शहरी जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। इसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता को भी आवश्यक स्थान मिल रहा है। 100 बड़े शहरों में सेवाओं में सुधार लाने की योजना है। महोदय, यह परियाजना न केवल जीवन की स्थितियों को बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय टैंकों को भरने और सिंचाई के लिए उपयोगी पानी के लिए स्थाई व्यवस्था करेगी तथा उनमें रहने वाले शहर वासियों को प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा, मैं यह कहना चाहूंगी कि अगले 5 वर्षों के लिए, प्रत्येक शहर में प्रत्येक वर्ष 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की शुरुआत की गई है। जो स्ट्रीट वेंडर है, वह स्थानीय अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देता है। इन लोगों के लिए, जो पहल की गई है, जो लोग इन पहलों पर संदेह करते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि हमेशा से इस सरकार ने आम आदमी को केन्द्र में रखा है। इसकी प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सरकार शहरों और नगरों को सुधारना चाहती है, उनमें रहने वालों के लिए और काम करने वालों के लिए बेहतर व्यवस्था करना चाहती है।

महोदय, पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10 हजार रुपये तक का किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई है। बाद में अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 20 हजार रुपये तक का दूसरा ऋण दिनांक 9.4.2021 से और 50 हजार तक का तीसरा ऋण 1.06.2022 से दिया जाने लगा है।

महोदय, आवासन और शहरी विकास कार्य मंत्रालय ने 1 जून, 2020 को 'प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मिनर्भर निधि', 'पीएम स्विनधि योजना' शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को, कोविड 19महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके उन व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। सरकार ने पहली बार रेहड़ी, पटरी और ठेले वालों व समान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। महोदय, इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 40 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जा चुका है। मैं मोदी जी और वित्त मंत्री महोदया को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे भारत में समानता की दृष्टि से इस योजना को कार्य रूप में परिणित किया है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक: महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि 40 लाख लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाया जा चुका है, जिसकी कुल कीमत 4,000 करोड़ रूपये है। महोदय, 'पीएम स्वनिधि योजना' के लिए कौन-कौन पात्र हैं - मैं इसको भी थोड़ा चिह्नित करना चाहूंगी। जैसे हमारे यहाँ पर पहले नाई कहते थे, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको सुधार करके उन्हें केश शिल्पीकार कहा

है। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने उन्हें कितना सम्मान दिया है। उन्हें पहले किस तरह से बुलाया जाता था और अब आप देखेंगे कि उन्हें, केश शिल्पी की दुकानों के लिए कितना सम्मान दिया गया है।

महोदय, एक और बात यह है कि जूता काटने वालों के लिए और पान की दुकान वालों के लिए आज शहरी आवास योजना के अंतर्गत मैंने आपके समक्ष जो विचार रखे हैं, उसके लिए मैं अपनी सरकार, अपने प्रधान मंत्री जी और अपनी वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगी। उपसभापित महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

श्री उपसभापति : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री जवाहर सरकार, आप बोलिए।

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, I have listened to you. We have permitted them. I will make one special request to you because while the hon. Finance Minister was there, we raised a point. The point is very simple, it should be noted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ... (Interruptions)... Please. ... (Interruptions)...

श्री जवाहर सरकार : सर, एक मिनट के लिए बोलने दीजिए। ..(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(Interruptions)... You have to speak on the subject please.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Okay, Sir. But this was our request and we will have to put it in some other manner.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. Only that will go on record.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Okay. Now, we start on Urban Development. I still call it Urban Development because 'Affairs' sounds a little odd. The immediate picture that comes to our mind is that this monsoon has been disastrous where constructions are concerned. Roofs have collapsed in seven airports. That is not their responsibility. There have been leakages everywhere. But, what is their responsibility is unnatural flooding of Delhi and that has happened. Thanks to their intervention, I am not

-

^{*} Not recorded.

referring to the present Minister, he is a very well-experienced person, I am referring to the past incidents. In trying to enforce a new plan on Delhi; I would give one example of Pragati Maidan tunnel. I am sure it has hit the water table. Under the city, as you know, there are water channels, water tables and others and we need to go in for hydrographic studies before we enforce our will through, before we put our egotistical schemes through, and the flooding of the Pragati Maidan tunnel would continue. It would continue and you cannot stop it like that. The flooding of Rajpath; -- I do not know what name they have given, this was completely unrequired -- Rs.670 crores spent on Rajpath for a few bulbs and lights and all you get is perennial flooding because you have tampered with the water system. Now, two days ago, an hon. Member asked this question about what is your role, to which the Urban Affairs Minister's reply was: "Urban local bodies are responsibility of the State Government."

That way, we cannot wash our hands away from this problem; otherwise, we need to scrap the Ministry. It has a centralizing role, we have accepted it. It has to use its integrative power, its guidelines. They have mentioned that they have PFI guidelines, SOP for urban floods. The CPWD code; there has to be some amount of stringent standards on which buildings are made. Sir, as you know, in one State, known to you, nine bridges have collapsed. This cannot go on with public funds. The second part of their reply goes into saying that urban planning is river-centric. That we are sure about it. I do not know whether you have seen the video by *Deshbhakt* Akash Banerjee, where he has compared Delhi with Venice. As I said, all of it, much of it is due to the rather ego-pushed plan of the Central Vista.

We have to tackle the hydrographic imbalance that we have created in this. When we talk of the Central Vista, I come to two points. With your indulgence, I will mention both the points. One relates to this Parliament building about which, I will not get into any unnecessary criticism because it is all a matter of taste, whether something is nouveau riche, something is classical, these are defined. I would like to raise on behalf of all the Members that the two main Members' gates, *Makar Dwar* and *Shardul Dwar*, have no protection. They are exposed to the elements, they are exposed to the rain, whereas, the three gates of the three VIPs, have what you call porticos. This is completely unfair because we are all exposed, even their Members are exposed to the rain, heat and this blazing sun. We have to do, redesign the building in such a manner that it is covered. There are other things within it, but I will not take time in this debate to mention about these flaws. Then the galleries; I would submit, Sir, it was the plan in the last regime; the galleries are the most useless things we have seen. Those spaces could be fruitfully utilized. As a net result of the

disturbance in Delhi, --I am concentrating on Delhi because that is your direct charge, the rest, you can say, the States look after, -- we had 207 hotspots in water-logging. This year alone, we have added 101. So it makes 308 hotspots as they call it, for water-logging. Different names have come up for them, they call them *Modi talab*, *Modi fuwarah*, all sorts of names; the speaker before me had mentioned. Now coming to the schemes of the Ministry, this year, I believe the allocation is Rs.86,000 crores, which is an improvement over last year. But then, this same Budget was over Rs.1 lakh crores three or four years ago. There is a constant slide down of the money allotted to the scheme.

But let us come to some of the more factual issues, some of the more glaring shortfalls, glaring failures. The PMAY, *Pradhan Mantri Awas Yojana*, takes one-third of the Budget and all the States are forced to put the word 'PM' before the name, though the contribution of the Centre is only 60 per cent. We may like to seek permission whether we can put '60 per cent PM *Awas Yojana'*; whether you can qualify the words '60 per cent' to make it very clear. The implementation has been extremely slow and components like the credit-linked subsidy have taken it into deep, deep complications. The Ministry is aware of it. Most of the houses that are built for the poor are in the peripheral areas of the town from which transport becomes a problem. So before we impose the top-down scheme of the poor people of India, we need to rethink. The in-situ slum scheme has been mentioned by Mr. Maken, though, I think, he had come over and made some remarks on WB, which we consider unnecessary, about some issues, say, the hawker scheme and all. When it comes to *Awas Yojana*, we are reminded of the *Gramin Awas Yojana*, where Bengal has been completely deprived.

We have sent eleven lakhs thirty-six thousand proposals to the Centre. And, God knows, what is going to happen! Maybe the minister will be able to explain. Eleven lakhs thirty-six thousand proposals for housing lying here in the Centre! And, where the second part of the Ministry's main expenditure goes into is metro rail, but we will not comment about it because our metro was by slaughtering the city of Kolkata. यहां की मैट्रो तो नीचे से जाती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। कोई बात नहीं, there are some supplements that have to be done for the Calcutta Metro.

The next big failure, I would like to point out is AMRUT. That was supposed to give tap water, gardens to end pollution control. Even now, most of India is still without tap water, whatever be the statements we make from this side or from, हर घर जल, and all that. And, pollution was an integral part of the scheme. But, two days ago, the Health Ministry replied to my question, which the Lancet, the world's most

famous medical body, says that seven percent of the deaths and maybe more per centage happens because of urban pollution. They have completely denied it.

The Ministry or the Government has completely denied it and said very ludicrously that it depends on your food habits. I mean, I have it and this would be one of the biggest jokes. Now, there again if you go in, you will find that they have achieved like 15 lakh taps, 37 lakh sewers. But, it covers practically nothing, it is just tokenism. Compared to the size of the problem, 31 per cent of the urban population has no pipe water even now. Sixty-seven per cent has no sewerage arrangement as of now. But, we go in for all sorts of statements. Now, having said this, I will come to the last one, which is a demand of our State Government, *aid memoir*, if I may put it, on the pending dues that pertained to Mr. Manohar Lalji's Ministry. Million Plus cities, we have Fifteenth Finance Commission grants of Rs.1,445 crores, just held up. I would ask the hon. Minister to take a look at it. We are being deprived of the rural development side; kindly do not slaughter us on the urban development side now. We have what is called the Shelter for Urban Homeless under the NULM Scheme, which is 60:40. Again, the O&M cost is not being given. I would like to raise this issue to him.

The last point I will make is on Smart City. The Smart City scheme is one of the most classic failures of the last 10 years. You can take measurements by whichever method you feel. You are supposed to create hundreds of Smart Cities; there are about 50 going around, and, maybe Madurai is the only one that has done something. And, our new town of Kolkata has done something about it. But as a scheme, as a hype, as a fund allocation, it is one of the most classic cases of maladministration, top-down administration. Right now, the Secretary of the Department made a submission before the Parliamentary Committee, almost admitting that we are winding up the scheme; हम हार मान गए। I do not know how much of it is true. The Minister can ascertain it. I can give him the details. But, you need to focus on schemes that are oriented to the people who will actually use them. This top-down method, of de-linking yourself to the people and their direct needs, needs to go away. Urban development or Housing and Urban Affairs is a very important Ministry that can actually go a long way to alleviate the problems of the city in terms of housing, in terms of water supply, in terms of sewerage, in terms of amenities. The way, it has been dealt in the past, Sir, I would be seech upon you to take a fresh look at it because you have a wealth of experience. It has been badly dealt with and badly executed in the past. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Jawhar Sircarji. Now, Shri Meda Raghunadha Reddy.

SHRI MEDA RAGHUNADHA REDDY (Andhra Pradesh): The Union Budget for the year 2024-25 has allocated a total of Rs. 82,576 crores to the Ministry of Housing and Urban Affairs. This marks an increase of approximately eight per cent from the previous year's allocation of Rs. 76,431 crores.

[THE VICE CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA) in the Chair.]

In this discussion pertaining to the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs, I rise to highlight the following issues: Sir, there is drainage issue. In every monsoon, we see widespread waterlogging and flooding due to the collapse of drainage system across the country. This occurs due to construction of buildings and planning of cities, not considering flood prevention, illegal dumping of waste into drainage system which has reduced their effectiveness. Drainage systems are not built to handle the increasing volume and the changing patterns of rainfall. I appeal, through you, Sir, that because there is drainage problem in all metropolitan cities, I request the Central Government to work with the States to resolve all these issues.

Sir, steps which can be taken to resolve these issues are pending drainage projects. It must be expedited to prevent water-logging, establishing a routine maintenance schedule for drains and storm water systems, integrated urban planning- a comprehensive approach to urban planning that includes flood risk assessments and sustainable drainage solution is essential for long-term resilience against flooding.

There are some concerns regarding the *PM Awas Yojana*. Sir, *PM Awas Yojana* had promised homes for 1.18 crore families by December, 2024, but, met just 67.4 per cent of its target so far. An overwhelming majority of homes, about 83 per cent that are to be constructed under the *PM Awas Yojana*, do not target the landless urban poor at all. A majority of the homes about 83 per cent constructed under the PM Awas Yojana are for families that have access to capital or land. I appeal to the Government to look into the allocations and ensure that they are given to the most marginalized and needy.

About Smart Cities Mission - Sir, there is Smart Cities Mission in Andhra Pradesh. I appreciate the Government for introducing the Smart Cities Mission aimed to promote sustainable cities that provide core infrastructure and give a decent quality of life to their citizens. However, data furnished by the Ministry has shown that 59

projects amounting to Rs. 2000 crores in expenditure are pending from the Government side. I urge the Ministry to expedite the completion of the four smart cities selected in Andhra Pradesh and to deliver urbanization of the people of the State. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Thank you, hon. Vice Chairman, Sir. I express my thanks for allowing me to speak. Sir, the Budget allocation for the Ministry of Housing and Urban Affairs in this year's Budget, 2024-25, the Revenue Expenditure stands at Rs. 59,948 crores, Capital Expenditure stands at Rs. 28,628 crores, total allocation is Rs. 82,576 crores. Out of which, Rs. 24,931 crores are allotted for MRTS and metro projects across the country. But it seems the Union Government does not treat Tamil Nadu as one of the States in India. The interest of people of Tamil Nadu is totally neglected by the Union Government. This is unconstitutional and undemocratic.

I would like to bring to the notice of the august House that Rs. 63,246 crores worth of Chennai Metro Rail Phase II project is currently under progress. The Government of India has permitted the Government of Tamil Nadu to proceed with the project. Since then, the Government of Tamil Nadu has been funding the project expecting that the Centre would release their share of funds. So far, the Union Government did not release the share of Tamil Nadu. Now, Tamil Nadu has spent over Rs. 30,000 crores, but, no funds has been released till now by the Union Government to Chennai Metro Phase II project.

The Government of Tamil Nadu is executing the project in spite of not receiving any funds from the Union Government as promised. This has caused a heavy financial burden on the Government of Tamil Nadu. This step-motherly treatment by the Union Government is really unjustifiable and gross injustice to the people of Tamil Nadu.

Sir, Chennai Metro Rail Phase-II project is a very important infrastructure project envisaged to build three corridors with a length of 118.9 kms entails building of 128 stations throughout the length and breadth of Chennai to ease traffic. In spite of the Union Government not providing its share of funds, the project is ongoing due to the efforts of the Government of Tamil Nadu. But, it may hit a roadblock if the Union Government continues to fail to release its share of funds and also loan assistance from bilateral and multilateral agencies on time. Sir, there is apprehension in the minds of the people of Tamil Nadu that the Union Government is purposefully delaying release of its share of funds for the execution of a very important Chennai Metro Rail

Phase-II project. With Rs. 63,246 crores, it was announced as a Union Government scheme.

Sir, the hon. Prime Minister, in his speech at Chennai, on 14th February, 2021, said that his Government has sanctioned Rs. 63,000 crores for the Chennai Metro Rail Phase-II project. I ask: Can the hon. Finance Minister deny it? The foundation-stone for the project was laid by the hon. Home Minister, Shri Amit Shah. Will the hon. Finance Minister deny it? Then, why even in July, 2024, the Government has not released even a single rupee for execution of Chennai Metro Rail Phase-II project? We, the people of Tamil Nadu, demand an answer from the hon. Finance Minister. Sir, our hon. Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, has asked the Government to initiate Metro Rail Project in Coimbatore and Madurai. But, the Government is silent on this. While the Union Government is keen only in collecting maximum GST and other taxes from Tamil Nadu to fill its coffers, they do not have the courtesy to repay the people of Tamil Nadu what they actually deserve. Sir, in this scenario, I urge the Union Government to release our share of funds immediately and expedite the disbursement of loan assistance from JICA and ADB on time for smooth progress of Chennai Metro Rail Project Phase-II.

Sir, under the Centrally Sponsored Schemes, the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban), the total amount allotted is Rs. 30,170 crores. Of this, States and UTs component accounts to Rs. 23,712 crores. The Credit Linked Subsidy Scheme-I for the economically weaker section and the lower income group stands at Rs. 3,000 cores and for middle income group it is Rs. 1,000 crores. At this snail's pace, the housing for all cannot be achieved even by 2047. The Government of India has to allocate more funds for the scheme.

Sir, the Union Government has allotted Rs. 10,400 crores for the Urban Rejuvenation Mission — AMRUT — and the Smart Cities Mission. This is not adequate and cannot cater the needs of the people of this country. For the National Urban Digital Mission, a meagre sum of Rs. 1,150 crores is only allotted. This is absolutely not enough considering the vast urban areas to be covered in this country. Under the Swachh Bharat Mission, Rs. 5,000 crores only has been allotted and, again, it is inadequate. With a goal to ameliorate the living conditions of urban slums within a timeframe to provide affordable housing for them and improve the living standards, Tamil Nadu Slum Clearance Board was established by our leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi in 1970 — 54 years ago. As the primary role of this organisation is to improve urban slums and to make them habitable, the hon. Chief Minister changed the name of Tamil Nadu Slum Clearance Board to Tamil Nadu Urban Habitat Development Board w.e.f. 01-09-2021.

Sir, at present, in Tamil Nadu almost 50 per cent of its total population lives in urban areas. At the current pace, by 2030, Tamil Nadu will be the most urbanized State in India with almost 67 per cent of its total population living in urban areas.

Sir, as the guideline value of land in urban areas in Tamil Nadu is high, the cost incurred for the land provided by the Government of Tamil Nadu for the construction of the houses under PMAY - Urban is the major expenditure. But, the Union Government, per house, is providing a sum of Rs. 1.5 lakh only; whereas, the Government of Tamil Nadu is spending around Rs. 7.5 to Rs. 13 lakhs per house. Our hon. Chief Minister Thalapathy, M.K. Stalin, has requested the Union Government to increase its funding for construction of houses under the PMAY - Urban Scheme. But, the Union Government has not increased its share of funds for the construction of houses under the PMAY — Urban Scheme. The World Bank has provided financial assistance of Rs. 3,038 crore to the Government of Tamil Nadu to strengthen the housing sector through policy reforms enabling private sector participation in affordable urban housing projects.

The Tamil Nadu Infrastructure and Fund Management Corporation Limited to provide industrial housing and working women hostels for low income and migrant workers and to create 500 beds for working women and 5,000 beds for industrial workers through PPP mode under the Tamil Nadu Shelter Fund. Sir, to ensure balanced and equitable development of Chennai city, a new programme, namely, Vada Chennai Valarchi Thittam, North Chennai Welfare Scheme, at a cost of Rs. 4,000 crore, programmed for implementation over the next three years has been announced by the Government of Tamil Nadu. Under this scheme, infrastructure deficit and gaps in development will be identified and schemes will be implemented to fulfil gaps. Besides, Tamil Nadu Urban Habitat Development Board proposed to reconstruct 1,336 dilapidated tenements in North Chennai at a cost of Rs. 215 crore during the period 2024-26. There is one more scheme, 'lyothee Thass Pandithar habitation development scheme'. The Tamil Nadu Urban Habitation Development Board has been implementing the infrastructure development, like, roads, bore wells, water supply lines, river basement of tenement blocks, conveniences, improvement of sewer network, etc. at a cost of Rs. 50 crores. ... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI R. GIRIRAJAN: Thirty-two tenement schemes in Chennai and in other towns comprising 12,465 tenements. Sir, the productive skill training is imparted in various trades in coordination with Tamil Nadu Skill Development Corporation, Tamil Nadu

Urban Livelihood Mission, Tamil Nadu Adi Dravidar Housing Development Corporation through empanelled training providers and NGOs. To attain slum-free Tamil Nadu, the housing & infrastructure will be provided to all the remaining slum families before 2030.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI R. GIRIRAJAN: Livelihood activities will be increased and their living standards will be raised to realise the dream of Dravidian model of Government; as the Tamil saying goes, "we shall see God in the smile of the poor." Thank you, Sir.

SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY (Punjab): Mr. Vice-Chairman Sir, at the outset, I congratulate the hon. Minister Shri Manoharlal Khattar on taking over as the Minister of Housing and Urban Affairs. People of this country have great expectations from you. I have no doubt that you will deliver beyond their expectations, being risen from grassroot worker and having spearheaded as the head of a State.

We are witnessing rapid urbanisation with the massive increase in urban mobility in India. The Finance Minister has announced PM Awas Yojana too in the Budget, under which one crore houses will be constructed with an investment of Rs. 10 lakh crores. The slum households are projected to go up to 18 million and 2 million non-slum urban poor households. Total housing shortage envisaged is 20 million. आदरणीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि Punjab is one among the unique States where urban poverty is higher than the rural poverty. As informal sector is rapidly expanding, as a source of employment in cities, like Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Firozpur, which are witnessing rapid increase in informal settlement, इसलिए इन शहरों बसे लाखों वर्कर्स, जो रोजगार के लिए शहर में आए हैं, उनके रहने के लिए मकानों की व्यवस्था करनी होगी।

महोदय, देश की राजधानी दिल्ली की जहाँ तक बात है, दिल्ली को 2022 तक 48 लाख घरों की आवश्यकता थी, लेकिन आज दो साल बाद भी हम लक्ष्य से काफी दूर हैं।

7:00 P.M

सर, आपको सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, इसकी 32 प्रतिशत जनसंख्या एक कमरे के मकान में रहती है, जिनमें 700 झुग्गियां, 1,800 unauthorised colonies वगैरह हैं, तो मैं कहूंगा:

"दर-ब-दर ठोकरें खाईं तो यह मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं और क्या चीज है बेघर होना।" आदरणीय मंत्री जी, दिल्ली में 2 लाख से भी अधिक लोग बेघर हैं और हमारे पास सिर्फ 200 रैन बसेरे हैं, जहां केवल 17,000 लोग ही रह सकते हैं, बाकी 1 लाख से ऊपर लोग भीषण गर्मी और कड़कती सर्दी में खुले आसमान के नीचे बसर करते हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है कि war-footing पर shelter homes बनाने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि जो land है, वह Centre subject है। मैं वह बात, जो हमारे colleagues ने, hon. MPs ने कही, जैसे, water logging in Delhi, 302 hot-spots, new underground passes being flooded with the water, which speaks high volumes, I do not want to repeat, but I would like to flag these issues. चूंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा मुकुट है, इसलिए हमें मिल-जुल कर इसे सजाने और संवारने का प्रयास करना चाहिए।

जहां तक migration की बात है, 60 crores Indians almost migrate within the country annually in order to release pressure on the existing mega cities. I think we will have to create more amenities in Tier-II and III cities of the country. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पहले स्मार्ट सिटीज की बात हो रही थी कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, पर जैसी यहां सदन में चर्चा हुई कि पिछले 10 सालों में progress is very minuscule. अब सुनने को मिल रहा है कि शायद उसका प्रोजेक्ट बंद किया जा रहा है। 32 smart cities have completed the projects but remaining 68 smart cities ने अपने targets achieve नहीं किए। I request the Ministry of Housing and Urban Development कि वह उसको rigorously pursue करे कि जो 100 स्मार्ट सिटीज announce की गईं, उनको कम से कम पूरा किया जाए। मैं अभी पढ़ रहा था कि इस साल का बजट, जो 8,000 करोड़ था, वह भी 70 परसेंट काटकर 2,700 करोड़ रखा गया है, तो यह एक चिंताजनक विषय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर इस पर ध्यान देंगी और सप्लीमेंट्री ग्रांट में यह पूरा किया जाएगा।

सर, अगर हम पंजाब की बात करें, जहां से मैं आता हूँ, तो वहां 72 work orders, 5 प्रोजेक्ट्स ही हुए। Smart City Mission which requires special attention and मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे खुद अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में जाकर देखें, क्योंकि 100 शहरों में ये भी शामिल थे। वहां लगता है कि वे दूर-दूर तक स्मार्ट सिटीज नहीं हैं।

अब यदि हम मेट्रो की बात करें, तो 27 शहरों में मेट्रो मैप है और 830 किलोमीटर ऑपरेशनल भी हुआ है, but, unfortunately, a big city like Chandigarh, which is closely connected with Mohali and Panchkula, वहां बहुत हेवी ट्रैफिक रहता है। वह एक industrial city भी है और capital भी है, लेकिन वहां मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लुधियाना, जो Manchester of India कहलाता है, उसके लिए मैं through Chair मंत्री महोदय और इस मिनिस्ट्री से आग्रह करूंगा, to consider and provide budgetary provision and support for metro connectivity in Chandigarh and Ludhiana. On property, जो heritage city का proposal, HRIDAY है, उसमें अमृतसर एक heritage city है, जहां दरबार साहब, श्री अमृतसर साहिब हैं। वहां लाखों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपको अकाल पुरख वाहेगुरु संगत की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जब हम दरबार साहब जाते हैं, जहां खट्टर साहब भी कई बार गए होंगे, वहां जो गलियारा फ्री किया गया है, उसमें बहुत congestion

है। Approach is very congested. वहां पिछले 10-12 साल से अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग के प्लांस बन रहे हैं, इसको इस साल जरूर करना चाहिए। यहां मंत्री साहब और मिनिस्टर ऑफ़ स्टेट बैठे हैं। उनसे यह मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दरबार साहब अमृतसर, जहां सारी दुनिया नतमस्तक होने आती है, जो कि ईश्वर का स्थान है, वहां मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग और उसकी जो मल्टीलेवल टनल है, वह बननी चाहिए।

अब हम "स्वच्छ भारत अभियान" की बात करें, तो उसमें कोई physical and financial टारगेट्स नहीं हैं। जिस तरह से AMRUT, Smart City या पीएम आवास योजना जैसे other missions of Ministry के टारगेट्स हैं, उसी तरह "स्वच्छ भारत अभियान" के भी deliverables होने चाहिए। आज मैंने पढ़ा कि यह 5 साल की स्कीम है, लेकिन deliverables नहीं है, इसलिए आप उसे ड्रॉ करें। अगर हम पंजाब की बात करें, तो वहां अमृतसर, लुधियाना और जालंधर जैसे शहर काफी बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं। आप जाकर देखिए कि क्या वहां कहीं पर स्वच्छता है? अगर इन जैसे बड़े शहरों में हम "स्वच्छ भारत अभियान" को टारगेट्स या deliverables के साथ लागू नहीं करेंगे तो इस स्कीम का कोई फायदा नहीं होगा, जिसे प्रधान मंत्री जी ने खुद लाँज किया था। मैं भी उसका brand ambassador, उसका पार्ट रहा, लेकिन वह कहीं न कहीं अब dilute हो रही है।

अंत में मैं आपका ध्यान बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करता हूं। वर्ष 1984 में दिल्ली में हुए निर्दोष सिखों के नरसंहार के बारे में सदन में सबको पता है कि उनके ऊपर इतना ज़ुल्म हुआ। मैं इस पवित्र सदन में पहले उस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मुआवज़ा, घर या फ्लैट उनके घावों को पूरी तरह से नहीं भर सकता। दिल्ली अर्बन शेल्टर बोर्ड, जो 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था, उसने सिख नरसंहार पीड़ितों को फ्लैट दे दिए, जिसका मूल्य 27,000 रुपये था, इन्होंने 3,000 रुपये दिए, बाकी किस्तों पर ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। वे बेचारे तिलक विहार और मंगोलपुरी में बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और मंत्रालय से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि उनका कर्ज़ा माफ करके दिल्ली सरकार को - क्योंकि अब The Delhi Urban Shelter Improvement Board सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली गवर्नमेंट के under है और आपको पता है कि दिल्ली पूरी statehood नहीं है, तो मिलजूल कर ही काम हो सकता है। उन बेचारों को इसके बीच में न उलझाएं। अब 1984 riot victim की तीसरी जेनरेशन है। आज तक ये फ्लैट इनके नाम नहीं हुए। मैं 1 नवंबर को तिलक विहार गया था, मुझे रोना आ गया। हमारे परिवार के भी पांच सदस्य शहीद हो गए थे। उनके फ्लैट्स की रजिस्ट्री करा कर, उन्हें मकान देकर, उनका इंटरेस्ट वेवर कर दिया जाए। मैं आपसे इसमें suitably budgetary provision की गुज़ारिश करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय-हिन्द!

THE VICE CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now Shri Muzibulla Khan.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, शहरी विकास मंत्रालय के बारे में जो डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। ओडिशा में जब नवीन बाबू की सरकार थी, तब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर और ब्रह्मपुर

को चुना गया था और काम भी उसी तरह आगे बढ़ा। कई साल पहले लोगों ने जिस भुवनेश्वर को देखा था और अभी का भुवनेश्वर देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि भुवनेश्वर कैसी स्मार्ट िसटी बनायी गयी है! इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अर्बन डिपार्टमेंट है, वह स्मार्ट िसटी के हिसाब से भुवनेश्वर को कई बार पुरस्कृत कर चुका है और अवार्ड भी दे चुका है। यह काम करने के तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि शहरी विकास को किस तरीके से करना चाहिए। उसके साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट किया गया है, ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन भी किया गया है। जब दूसरी बार ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, तो राउरकेला में बिरसा मुंडा जी के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया, जिसे बहुत कम समय में, डेढ़ साल से भी कम समय में बनाया गया और वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस तरीके से अर्बन सेक्टर को, शहरों को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, वह हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी, उनके मुख्यमंत्री काल में कर चुके हैं। अर्बन सेक्टर को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, कनेक्टिविटी - रास्ता अच्छा होना चाहिए, लोग उस रास्ते से ठीक से सुविधापूर्वक जा सकें, ठीक से अपनी जगह पर पहुंच सकें। इसी कारण राज्य सरकार अपने फंड से एक मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आई, जिसकी foundation नवीन बाबू ने अप्रैल, 2023 में रखी।

वह मेट्रो भुवनेश्वर, पुरी और कटक को कनेक्ट करने के लिए दी गई थी। इसका कारण यह था कि पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और हजारों श्रद्धालु हर रोज भगवान के दर्शन करने पुरी आते हैं। जब रथ यात्रा का समय आता है, तब तो बहुत ही असुविधा की स्थिति में लोग आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है। इसी के कारण बहुत जरूरी है कि एक मेट्रो प्रोजेक्ट पूरी, भुवनेश्वर और कटक तक होना चाहिए, ताकि लोगों को आने-जाने की सुविधा हो सके। मान्यवर, अभी सदस्यगण जो डिस्कशन कर रहे थे कि शहर में कैसा आवास तैयार करना चाहिए, कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हमारी राज्य सरकार, उस टाइम की राज्य सरकार माननीय मुख्य मंत्री नवीन पटनायक जी ने 'जागा मिशन' की घोषणा की। अर्थात स्लम्स में जो लोग रहते हैं, उनको अपनी जगह का अधिकार देना, उनको जगह का पट्टा देना, तो यह मिशन इसी के लिए किया गया था। उसके साथ-साथ उन लोगों को पक्का घर देना, घर बनाकर देना। आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि स्लम्स के लोगों को रहने के लिए पक्के मकान राज्य सरकार ने बना कर दिए हैं। लेकिन अभी (पीएमएवाई) प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में जो डिस्कशन हो रहा था, तो शहर में प्रधान मंत्री आवास योजना का जो फंड है, यह सूनने में आया कि वहां पर लाख-डेढ लाख रुपये हैं। डेढ लाख रुपये में तो घर नहीं बन सकता है। कैसे एक घर बनेगा? इसके बारे जरूर केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतने कम पैसे में घर नहीं बन सकता। अगर वे सोचते हैं कि इतने कम पैसे में घर बनता है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे स्लमवालों को घर बनाकर ही दे दें, ताकि उनको तकलीफ न हो। अभी तो ओडिशा में उनकी सरकार भी बन गई है और मैं समझता हूं कि कोई अस्विधा भी नहीं होगी, क्योंकि हर बार हम लोग सूनते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी, तो हम लोग सब करेंगे, तो अच्छी बात है। अब डबल इंजन सरकार हो गई है, तो सब काम जरूर होंगे, यह हम उम्मीद करते हैं। जो गरीब लोग, जो गांव से शहर की तरफ आते हैं कुछ काम-काज के लिए आते हैं, अपने बच्चों को पढाने के लिए आते हैं, ये सब धीरे-धीरे स्लम्स में रहने कोशिश करते हैं और भीड जम जाती है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और उनके रहने की व्यवस्था करनी होगी। प्रधान मंत्री आवास योजना के फंड को बढाना होगा. तभी लोगों को सारी सुविधा मिल सकती है। लास्ट में मैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूं। भुवनेश्वर में भी ड्रेनेज की समस्या है, प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बारिश होती है, तूफान आता है, तो पानी जम जाता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है। न केवल भुवनेश्वर, देश के बड़े-बड़े शहरों में, वह शायद चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, आप जब टीवी में बारिश के मौसम में देखते हैं, तो वही दिखता है कि कोई घर से निकल नहीं सकता, कोई पानी में डूब रहा है, किसी की कार बहती जा रही है। इसका मतलब अर्बन सेक्टर में सही तरीके से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। मैं केंद्र सराकर से अनुरोध करूंगा और यह मेरी गुजारिश भी है कि इन सब चीजों को देखना होगा, वरना, जो घटनाएं घटती हैं, कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ स्टूडेंट्स की जान चली गई, जैसा अभी दो-तीन दिन पहली दिल्ली में हादसा हुआ, वह बहुत दुखद हादसा था। इन सब चीजों को रोकने के लिए जो नेचुरल सोर्सेज से पानी जाने की सुविधा थी, प्रबंध था बहुत पहले, उसको बहुत जगह बंद कर दिया गया और उसके ऊपर जबरदस्ती घर बना दिए गए, तो इसको हटाना होगा, इसको क्लियर करना होगा। जब तक पानी जाने की सुविधा नहीं होगी, तब तक देश में पानी जमा होने की जो समस्या है, यह खत्म नहीं होगी। इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम केंद्र सरकार हर बड़े शहर में पानी को क्लियर करने की व्यवस्था करे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

श्री मुजीबुल्ला खान: ताकि हम लोग जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देख रहे हैं, वह पूरा हो सके। इस उम्मीद के साथ मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान में रखें और प्रधान मंत्री आवास योजना में भी लोगों के जो डेढ़ लाख रुपये हैं, उसको बढ़ाकर ज्यादा किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, on behalf of the AIADMK Party, and also my leader, Edappadi K. Palaniswami, I am participating in the discussion on the Working of the Ministry of Housing and Urban Affairs. I am very happy to see that our Minister, who has come from Haryana, has done a lot of work there as the Chief Minister. Now, he has come here. I hope that under his leadership, most of these problems of urban development can be solved.

Sir, just now, my colleague from Tamil Nadu spoke. They want a lot of money for development of Tamil Nadu cities. First of all, Tamil Nadu is one of the most urbanised States in the country. Many problems, such as lack of drinking water and lack of sanitation facilities, are being faced there. The residents of Chennai and other cities face innumerable issues on a daily basis, right from bad roads, poor quality of water, power cuts, safety and connectivity.

(MR. CHAIRMAN in the Chair.)

The present Government of Tamil Nadu is paying very scant attention to these issues, even though it is collecting a lot of money by way of increasing property tax and increase in bus fare. It is collecting revenue in whichever way it is possible, but the Government is not providing any amenities to the public. The Government of Tamil Nadu did not learn from the past mistakes and added to the woes of the people of Tamil Nadu. Then, he mentioned about the Metro project. Metro project was initiated at the time when our Amma was the Chief Minister of Tamil Nadu. Edappadi K. Palaniswami, as the Chief Minister, also took a lot of efforts to see that Metro project came to Tamil Nadu. The present DMK Government keeps on boasting about itself that they are bringing these kinds of projects, but, at the same time, they keep on telling that the Central Government is not giving funds. But whatever funds are given, they are not properly utilized. There are a lot of accusations in this regard. Whatever budget is given, that is misused by the DMK Government, but they always put the blame on the Central Government. That is the main problem. Even on small houses, the property tax has been increased. Our AIADMK Party leader, Edappadi K. Palaniswami, staged a lot of agitation. We have demonstrated that DMK Government is not at all caring about the urban cities. The projects are not being properly completed.

Regarding smart city, I would request the hon. Minister, through you, Sir, especially about Hosur, which is the industrial corridor. Our leader, Edappadi K. Palaniswami, declared a corporation of that area. We need to see that this city can be declared as a smart city. I was a Member of Lok Sabha from Karur. Karur is also a textile city. The city is exporting a lot of garments throughout the world and getting a lot of foreign exchange for our country. But, the DMK Government is not paying any attention to these kinds of cities to be developed as smart cities. Therefore, I request the hon. Minister that Karur and Hosur must be developed because I belong to this area. I have represented Karur Lok Sabha constituency many times. And Hosur is also my native place, which is in Krishnagiri district of Tamil Nadu. Therefore, I request the hon. Minister to give a lot of money to declare these cities as smart cities. The DMK Government has requested for a lot of money, but I want to see whether they are properly utilizing that money or not. Once they said they would spend Rs.4,000 crores, but when the flood came in Madras city, it became clear that they had not at all spent the money. They only keep on boasting about themselves. They are spending that, but a lot of corruption is taking place. That is what Tamil Nadu people are facing. That is why, I request the Central Government to interfere in this matter to take necessary action. The corruption is taking place. Especially the DMK Government is not for the people. They are only for the families they are running. Therefore, it is high time to take necessary action. I request, through you, Sir, and also thank you very much for giving me time. You are a senior Member sitting there.

MR. CHAIRMAN: I am not senior to you. You are very senior Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, you are an excellent lawyer.

MR. CHAIRMAN: When I was a new Member of Parliament...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, you are a senior lawyer. You are defender of this country. You are defending our rights. You are sitting in a high place. Therefore, I request, through you, to the Minister to take necessary action. The DMK government is misusing the funds as they are not at all spending the same for the urban development, due to which poor people are facing a lot of problems. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Mithlesh Kumar. You have ten minutes.

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापित महोदय, आज आपने मुझे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यकरण के संबंध में हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के लगातार तीसरे कार्यकाल के प्रथम बजट के समर्थन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के कार्यकरण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए नौ प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके इस बजट का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के भीतर पर्याप्त अवसर पैदा करना है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीए सरकार के तहत विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में उत्पादकता बढ़ाना, नौकरियाँ पैदा करना ,विनिर्माण को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शहरी विकास को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, बुनियादी ढाँचों का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना और सार्थक सुधार लागू करना शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक प्राथमिकता सभी के लिए एक अधिक मजबूत समृद्ध राष्ट्र बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारी माननीया वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजट का लक्ष्य राजस्व सृजन को बढ़ाना है।

महोदय, 2024-25के बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत तक कर दिया गया है। महोदय, इस वर्ष सरकार ने विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर जोर दिया है। एनडीए सरकार 5 वर्षों की अवधि में नियोक्ताओं और कार्यबल में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं - दोनों के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के योगदान के लिए लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करके इसको हासिल किया जा रहा है, जो हमारी तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीतिकार दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

महोदय, बजट में 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए पारागमन उन्मुख विकास योजना का प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकितत करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। इन आर्थिक और पारागमन नियोजन तथा नगर नियोजन योजनाओं का उपयोग करके पेरी अरबन क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास को प्राप्त किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए उन्मुक्त विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति भी बनाई जाएगी।

महोदय, बजट में अगले पाँच वर्षों के लिए 'पीएम आवास योजना शहरी 2.0' के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के आवासों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा इसके लिए 'पीएम आवास योजना शहरी 2.0' की घोषणा की गई है, जिसमें 1 करोड़ से अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी की सोच है कि गाँव में ही नहीं, बल्कि शहरों पर भी ध्यान दिया जाए। जब से हमारी सरकार आई है, तब से ही शहरों के अंदर गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आवास बनाए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके द्वारा 1 करोड़ आवास बनाने के लिए 'पीएम आवास योजना शहरी 2.0' के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्मम वर्ग के परिवारों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा।

अगले पाँच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल होगी। किफायती दरों पर ऋण की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा, बड़ी उपलब्धता के साथ, कुशल और पारदर्शी किराए के आवास, बाजारों के लिए सक्षम नीतियाँ और निगम भी लागू किए जाएंगे। माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराए के आवास को बीजीएफ समर्थन और प्रमुख उद्योगों के प्रतिबद्धता के साथ पीपी मोड पर सुगम बनाया जाएगा ,क्योंकि शहरों में काम करने के लिए जब जहाज से लोग जाते हैं, तो उनको किराए पर मकान बहुत महंगा मिलता है ,इसलिए बेहतरता के साथ कुशल और पारदर्शी किराए के आवास बाजारों के लिए सक्षम नीतियाँ और निगम नियम भी लागू किए जाएंगे। बजट में पीएमजेएवाई शहरी योजना के तहत, दस लाख करोड़ रुपए का विशाल आवंटन, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ घर बनाना ,साथ ही, 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देना, शहरी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। मान्यवर, वर्तमान में देश के 27 शहरों में मेट्रो रेल चालू है या

निर्माणाधीन है। 2002 में दिल्ली में पहली आधुनिक मेट्रो लाइन के उद्घाटन के साथ ,आज 21 विभिन्न शहरों में ,अर्थात दिल्ली और सात एनसीआर शहरों - बेंगलुरु ,हैदराबाद, कोलकाता में लगभग ९४५ किलोमीटर रेल लाइनें, ३४ किलोमीटर दिल्ली मेरठ आरटीएस चालू है। चेन्नई, जयपूर, कोच्चि, लखनऊ, आगरा, मुंबई, अहमदाबाद, नागपूर, कानपूर और पूणे, इन लाइनों पर रोजाना करीब एक करोड़ यात्री सफर करते हैं। 2014 से पहले मात्र पाँच शहरों में 248 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क चालू था। पिछले दस वर्षों में लगभग 700 किलोमीटर रूट लंबाई की मेट्रो लाइन चाल हो गई है। इसके अलावा ,देश भर के विभिन्न शहरों में, जैसे दिल्ली, गुडगांव, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, कानपुर में लगभग 939 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। आगरा, भोपाल, इंदौर, पटना, सूरत और मेरठ - मान्यवर ,मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली और मेरठ के बीच जो 82 किलोमीटर की लंबाई थी ,वह पहले ढाई से तीन घंटे में पूरी की जाती थी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को 2019 में 3,0274 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। साहिबाबाद और दुहाई के बीच प्राथमिकता खंड का उद्घाटन 2023 में हुआ। दुहाई और मोदीनगर उत्तर के बीच एक खंड का उद्घाटन मार्च, 2024 में किया गया है। वर्तमान में, 34 किलोमीटर आरआरटीएस नेटवर्क लागू है। भौतिक रूप से शुरू की गई 352 परियोजनाओं के मुकाबले पर्यावरण अनुकूल परिवहन और बुनियादी ढांचे को बढावा देने के लिए 320 ग्रीन मोबिलिटी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 101 लाख पहचाने गए पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स में से 99 लाख को ऊर्जा कुशल एलईडी से बदल दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 665.84 करोड़ यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति वर्ष 45.94 लाख टन की कमी आई है। शहरों को क्रेडिट बनाने के लिए 468 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है।

162 शहरों को निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग, आईजीआर प्राप्त हुई है। जिसमें 'ए' या उससे ऊपर की रेटिंग वाले 34 शहर शामिल हैं। अहमदाबाद, अमरावती, भोपाल, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, पुणे, सूरत, वडोदरा, विशाखापटनम और पिंपरी, चिंचवाड...(समय की घंटी)... नगरपालिका बॉन्ड के माध्यम से 4,684 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 315.83 करोड़ जारी किए हैं। निर्माण परिमट को ऑनलाइन जारी करने की सुविधा के लिए 449 अमृत शहरों सिहत 3,599 ...(समय की घंटी)... सर, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा। ऑनलाइन बिलिंग परिमशन सिस्टम को चालू किया गया है।

जल आपूर्ति और स्वच्छता के बारे में माननीया वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि केंद्र, राज्य सरकारों व विकास बैंकों के साथ साझेदारी में बैंक योग्य परियोजना के माध्यम से 100 बड़े शहरों को जल आपूर्ति, सीवेज, उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनों में सेवाओं को बढ़ा दिया गया है।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mithlesh ji.

श्री मिथलेश कुमार: साहब, बस एक मिनट और दे दें। शहरों का विकास क्यों जरूरी है? सर, बस आधे मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हम लोग नगर निगम में छोटे शहरों में रहते हैं, तो वहां के बच्चों को जब स्कूलिंग करनी होती है, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उसके लिए उनको बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ता है। जब वे नौकरी प्राप्त करने जाते हैं, तो कहा जाता है कि छोटे शहर से पढ़कर आए हैं, तो इंजीनियर लोगों को वे लोग पीछे बैठा देते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि शहरों को बढ़ावा दें और शाहजहांपुर, जहां से मैं आता हूं, वह नगर निगम हो गया है, अगर हो सके, तो वहां के लिए नगर निगम की कुछ व्यवस्था कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if the House agrees, the remaining discussion on the working of the Ministry of Housing and Urban Affairs will be resumed at 1.00 p.m. tomorrow.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we had taken up permitted Special Mentions earlier in the day. All Members up to Sl.No. 31, except the hon. Member at Sl. No. 9 who was absent, had made their respective Special Mentions. I will now call the remaining Members starting with serial number 32. Shri Mithlesh Kumar.

SPECIAL MENTIONS - Contd.

Demand for Mailani-Farrukhabad new railway line project

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापित महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मैलानी-फर्रुखाबाद नई रेल लाइन परियोजना के तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैलानी-फर्रुखाबाद नई रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

लगभग 150 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना के पूरा होने के बाद इस क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होगा तथा इस पिछड़े क्षेत्र में व्यवसाय तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा रेलवे की आय में वृद्धि होगी।

यह नई रेल लाइन विकास के नए आयाम स्थापित करने के साथ-साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी बन सकेगी। सैन्य छावनियों के कारण शाहजहांपुर और फतेहगढ़ जैसे